



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271340  
CG-DL-E-27032026-271340

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 89]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) -07/2025

विषय: यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य ("कोरिया आरपी"), रूसी संघ ("रूस") और थाईलैंड साम्राज्य ("थाईलैंड") से 1500 श्रृंखला के "इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/07/2025-डीजीटीआर—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया) द्वारा यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य ("कोरिया आरपी"), रूसी संघ ("रूस") और थाईलैंड साम्राज्य ("थाईलैंड") (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "1500 श्रृंखला के इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन

रबर" ("जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन-पत्र -पत्र प्राप्त हुआ।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2025 की अधिसूचना संख्या 6/07/2025-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

### **ख. प्रक्रिया**

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

#### **3.1 जांच की शुरुआत**

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों की सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र -पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
- ii. उपरोक्त के अनुसार, आवेदन-पत्र -पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। अतः, नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 06 / 07 / 2025 - डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2025 ('जांच की शुरुआत अधिसूचना') के माध्यम से वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

#### **3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन**

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन-पत्र -पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र -पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, उनके अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई थी।

#### **3.3 जांच की अवधि और क्षति जांच अवधि**

- i. जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि ('पीओआई') को 01 अक्टूबर 2023 - 30 सितंबर 2024 माना गया था। क्षति की अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि को शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।
- ii. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त किए गए और आवश्यक विश्लेषण के लिए उसी पर भरोसा किया गया है।

#### **3.4 संबद्ध देशों के निर्यातकों की प्रतिभागिता**

- i. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र -पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच शुरू करने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
- ii. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के बारे में सूचना मांगने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	रवागो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एनवी, यूरोपीय संघ
2	सिंथोस, यूरोपीय संघ
3	वर्सलिस सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, यूरोपीय संघ
4	कैट्योन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूरोपीय संघ

5	जेटीसी कारपोरेशन, जापान
6	इटोचु कारपोरेशन, जापान
7	ज़ियोन एशिया पीटीई लिमिटेड, जापान।
8	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया
9	एलजी केम लिमिटेड, कोरिया
10	वोनचेम, लिमिटेड कोरिया
11	हंसुक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया
12	एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, कोरिया
13	हार्टीकिम कॉर्प, कोरिया
14	कार्तली तुर्की प्लास्टिक किमया टिकारेत, रूस
15	ओम्स्की कौचुक, रूस
16	निज़नेकम्स्केनेफ्टेखिम (एनकेएनके), रूस
17	बैंकॉक सिंथेटिक्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड
18	जेएसआर बीएसटी इलास्टोमर कंपनी लिमिटेड थाईलैंड

- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से प्रश्नावलियां भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उनके संबंधित देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- iv. उपरोक्त के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं., लिमिटेड, कोरिया
2	पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया (कुम्हो के लिए निर्यातक)
3	पोस्को इंटरनेशनल इटालिया एस.आर.एल, यूरोप (कुम्हो के लिए निर्यातक)
4	स्टर्लिटामक पेट्रोकेमिकल प्लांट जेएससी, रूस
5	बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड
6	एक्सपोल डीस टिसरेट लिमिटेड शिकेटी, तुर्की
7	वोनेक्स - एफजेडसीओ, रूस।

### 3.5 आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

- i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए एक प्रश्नावली भी भेजी:

क्र.सं.	भारत में प्रयोक्ता/आयातक का नाम
1	अग्रवाल रबर (एआरएल टायर्स)
2	अपोलो टायर लिमिटेड
3	एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

5	बिडला टायर
6	सीएट लिमिटेड
7	एक्सेल रबर लिमिटेड
8	फोरच इंडिया लिमिटेड
9	गारवारे फुलफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	गुडइयर इंडिया लिमिटेड
11	हिंदुस्तान रबर इंडस्ट्रीज
12	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
13	मेट्रो टायर लिमिटेड
14	मिडास रबर (पी) लिमिटेड
15	एमआरएफ लिमिटेड
16	ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज
17	पैरागॉन पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
18	फीनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	पोद्दार टायर लिमिटेड
20	रालसन (इंडिया) लिमिटेड
21	सेम्परट्रान्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- ii. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में पंजीकरण किया है और अनुरोध किए हैं:

क्र.सं.	भारत में प्रयोक्ता/आयातक का नाम
1	अपोलो टायर लिमिटेड
2	सीएट लिमिटेड
3	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4	जेएमएफ परफॉर्मेंस मैटेरियल्स प्रा. लि
5	एमआरएफ लिमिटेड
6	ऋषिरूप लिमिटेड
7	ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा. लि.

- iii. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड, पोस्को इंटरनेशनल इटली एसआरएल, पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन, अपोलो टायर लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

- iv. ऑटोमोटिव टायर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं; इन पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

### 3.6 आगे की प्रक्रिया

- i. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो जांच शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीसीएन प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया था। घरेलू उद्योग के अलावा, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन के लिए प्रस्ताव के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 23 अप्रैल 2025 को पीसीएन को स्पष्ट और अधिसूचित किया।
- iii. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 20 अगस्त 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।
- iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 23 दिसंबर 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।
- v. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- vi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीयता मानी गई है। तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सार देने का निर्देश दिया गया था।
- vii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन, वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- viii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार है।
- ix. प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम बनाते समय, कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की जांच की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्यों के लिए संगत माने जाते थे।
- x. \*\*\* किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दशार्ते हैं।
- xi. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 डॉलर = 84.27 रु. है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
- 3. विचाराधीन उत्पाद 1500 श्रृंखला का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर है, जिसे संक्षेप में ईएसबीआर - 1500 कहा जाता है।*
- ग.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**
5. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।
- ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**
6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- 1500 श्रृंखला के इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर के लिए आवेदन-पत्र -पत्र दायर किया गया है, जिसे संक्षेप में ईएसबीआर-1500 कहा जाता है।
  - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात सभी तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं में तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।
  - वर्तमान जांच में पीसीएन पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एक श्रृंखला शामिल है।
- ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**
7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की अधिसूचना के परिचालन होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन की आवश्यकता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में और न ही पीसीएन की आवश्यकता के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत की। तदनुसार, दिनांक 23 अप्रैल 2025 की सूचना के अनुसार, उत्तर दायर करने के उद्देश्य से, यह स्पष्ट किया गया था कि उत्पाद का क्षेत्र वही था जो जांच की शुरुआत में परिभाषित किया गया था और पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
8. सूचना के बाद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणियां दायर नहीं कीं।
9. अतः, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निष्कर्षतः निम्नलिखित है:
- "विचाराधीन उत्पाद 1500 श्रृंखला का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर है, जिसे संक्षेप में ईएसबीआर - 1500 कहा जाता है।*
- क. विचाराधीन उत्पाद के बारे में**
10. विचाराधीन उत्पाद 1500 श्रृंखला का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर है, जिसे संक्षेप में ईएसबीआर-1500 कहा जाता है। प्राकृतिक रबर की तुलना में, ईएसबीआर में बेहतर प्रक्रिया क्षमता, एकरूपता, उष्मता और एब्रेजन रोधकता है। तथापि, यह लम्बाई, हॉट टीयर स्ट्रेंथ, हिस्टेरेसिस, रिलायंस और तन्य शक्ति के संदर्भ में घटिया है।
11. एसबीआर के कई ग्रेड उत्पादित किए जाते हैं, जो कोपोलिमर के स्तर (स्टाइरीन का%), इमल्सीफायर प्रकार, नाममात्र आणविक चिपचिपाहट, जमाव, विशिष्ट गुरुत्व और उत्पाद दाग द्वारा विशेषता है। उन्हें 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900 श्रृंखलाओं में अलग किया गया है। वर्तमान जांच केवल ईएसबीआर 1500 श्रृंखला के लिए है।
12. मुख्य रूप से टायर बनाने के लिए सामानों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छे घर्षण प्रतिरोध और योजक द्वारा संरक्षित होने पर अच्छी उम्र बढ़ने की स्थिरता होती है। इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट, जूते के तलवों, वी-बेल्ट, ढाले हुए रबर सामान आदि में भी किया जाता है।
13. प्राकृतिक रबर की तुलना में, एसबीआर में बेहतर प्रक्रियाशीलता, एकरूपता, गर्मी उम्र बढ़ने और घर्षण प्रतिरोध है, लेकिन बढ़ाव, गर्म आंसू ताकत, हिस्टेरेसिस, लचीलापन और तन्य शक्ति के संदर्भ में यह कमतर है। एसबीआर

की प्रमुख मांग ऑटोमोटिव क्षेत्र में टायर के निर्माण के लिए है। इन सामग्रियों में अच्छे घर्षण प्रतिरोध और योजकों द्वारा संरक्षित होने पर अच्छी उम्र बढ़ने की स्थिरता होती है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया

14. एसबीआर के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल स्टाइरीन और ब्यूटाडीन हैं, अन्य कच्चे माल में पानी, इमल्सीफायर डोडेसिल मर्केप्टन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एफईएसओ4, ईडीटीए, एनए4पी710एच2ओ, पोटेथियम पर्सुलेट, एसएफएस और स्टेबिलाइजर शामिल हैं।
15. एक विशिष्ट नुस्खा में मोनोमर (स्टाइरीन और ब्यूटाडीन), पानी, इमल्सीफायर, इनिशिएटर सिस्टम, संशोधक, शॉर्टस्टॉप और एक स्टेबलाइजर सिस्टम शामिल हैं। मूल बहुलकीकरण प्रतिक्रियाएं बैच रिएक्टरों में चार्ज की जाती हैं जिसमें सभी सामग्री रिएक्टर में लोड की जाती है, और वांछित रूपांतरण तक पहुंचने के बाद प्रतिक्रियाएं छोटी रोक दी जाती हैं। वर्तमान वाणिज्यिक उत्पादन प्रतिक्रियाओं को भरकर और रिएक्टरों की एक श्रृंखला के माध्यम से बहुलकीकरण करके लगातार चलाने के लिए बनाए जाते हैं जो वांछित मोनोमर रूपांतरण पर रुकते हैं।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण

16. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के अध्याय 40 - रबर और उसकी वस्तुओं शीर्ष 4002 19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
17. विचाराधीन उत्पाद पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची-1 के तहत 10% का मूल सीमा शुल्क लगता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर निम्नलिखित मुक्त व्यापार करार के तहत छूट मिलती हैं और शून्य शुल्क के अध्याधीन हैं।
  - i. भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार (आईएसीईसीए)।
  - ii. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार
  - iii. जापान-भारत व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार
18. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इसे इस जांच के लिए अपनाया गया है।

#### घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु

19. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और उपभोक्ता उनका परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं।
20. यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

##### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
  - i. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पीजेएससी सिबुर होल्लिंग संबद्ध हैं, और इसीलिए, आवेदक नियम 2 (ख) की अपेक्षा को पूरा नहीं करता।
  - ii. इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध सामानों की पिछली जांच में भाग लिया था, लेकिन वर्तमान जांच में नहीं हैं।
  - iii. आईएसआरपीएल का समर्थन पत्र साझा नहीं किया गया है, और समर्थन पत्र और साथ के आंकड़ों का अभाव याचिका के आधार में वास्तविक कमी है।

- iv. आईएसआरपीएल को अपने प्रचालनात्मक और वित्तीय आंकड़ों को निर्धारित प्रारूपों में जमा करना चाहिए, जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 13/2018 और 14/2018 द्वारा अनिवार्य है।
- v. चीन जन.गण. से सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और लौह के खोखले प्रोफाइल, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने उस समय पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं की जब भारत में प्रमुख उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया और केवल एक समर्थक के रूप में कार्य किया।
- vi. कुल घरेलू उत्पादन में आईएसआरपीएल की 50% से अधिक हिस्सेदारी है। यदि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक जांच में भाग नहीं ले रहा है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

## घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

22. आवेदक ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारत में संबद्ध सामानों के केवल दो उत्पादक हैं - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड (आईएसआरपीएल)।
- ii. आवेदक के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, अर्थात् कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक का।
- iii. आईएसआरपीएल ने आवेदन-पत्र -पत्र का समर्थन किया है और समर्थन-पत्र प्रदान किया है।
- iv. समर्थक के शामिल होने से, आवेदक और आईएसआरपीएल का भारत में संपूर्ण उत्पादन है।
- v. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पीजेएससी सिबुर होल्लिंग के बीच कोई संबंध या संयुक्त उद्यम नहीं है। यह संबंध एसआईबीयूआर इन्वेस्टमेंट्स एजी के साथ है, जो न तो संबद्ध देशों में स्थित है और न ही विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है।
- vi. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने बहीखातों और खातों में पीजेएससी सिबुर होल्लिंग को संबद्ध कंपनी के रूप में नहीं पहचानती है।
- vii. आरआईएल और सिबुर नियम 2 (ख) के अभिप्राय से संबद्ध नहीं हैं।
- viii. आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबर (आईआईआर) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक आवेदन-पत्र -पत्र दायर किया था जहां संबद्ध देश में रूस शामिल था और सिबुर होल्लिंग की पीजेएससी में हिस्सेदारी थी, जो रूस में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है। उस जांच में, प्राधिकारी ने रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियम 2 (ख) के अनुसार एक पात्र उत्पादक माना। जब रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक पात्र उत्पादक माना गया था, तो नियम 2 (ख) के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक पात्र उत्पादक नहीं मानने का कोई कारण नहीं है।
- ix. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से उत्पाद का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

24. यह आवेदन-पत्र -पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इसका इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया है। नीचे दी गई तालिका आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादक के उत्पादन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
2	इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
3	कुल	एमटी	***	***	***	***
<b>उत्पादन में हिस्सा -%</b>						
1	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	%	***	***	***	***
2	इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड	%	***	***	***	***

25. इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड (आईएसआरपीएल) ने शुल्क लगाने का समर्थन किया है। आईएसआरपीएल से समर्थन पत्र की एक प्रति घरेलू उद्योग द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा की गई थी।
26. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है क्योंकि उत्पादक पीजेएससी सिबुर होल्लिंग से संबद्ध है, जो रूस में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है। तथापि, आवेदक ने इस संबंध पर विवाद किया है और अनुरोध किया है कि संबंध सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के साथ है, जो न तो संबद्ध देशों में स्थित है और न ही विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है। आवेदक ने पीजेएससी सिबुर होल्लिंग पर संबंध या नियंत्रण की मौजूदगी से इनकार किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हो।
27. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के लिए रूस से आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट जाता है कि इस अवधि के दौरान, रूस से पीजेएससी सिबुर संबद्ध सामानों का कोई निर्यात नहीं है। नियम 2(ख) में निर्धारित किया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध नहीं होना चाहिए या स्वयं संबद्ध सामानों का आयात नहीं करना चाहिए। वर्तमान मामले में, कथित संबंधित कंपनी ने भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना जाता है।
28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्रमुख उत्पादक, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने चीन जन.गण. से सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और लौह के खोखले प्रोफाइल, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का संदर्भ लिया है और अनुरोध किया है कि विगत में, प्राधिकारी ने उन मामलों में शुल्क की सिफारिश नहीं की है जहां एक प्रमुख उत्पादक केवल एक समर्थक के रूप में कार्य करता था। यह देखा जाता है कि वर्तमान जांच के तथ्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। चीन जन.गण. से सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और लौह के खोखले प्रोफाइल, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने पाया कि मेसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जो देश में संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक और संबद्ध आवेदन-पत्र -पत्र का समर्थक है, ने लागत आंकड़ों सहित कुछ सीमित और आंशिक सूचना प्रदान की थी। प्राधिकारी ने पाया कि मेसर्स महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सीमित और आंशिक डेटा के विश्लेषण से पता नहीं चला कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के कथित पाटित आयातों से कोई क्षति है। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि आईएसआरपीएल को क्षति नहीं हो रही है। आईएसआरपीएल के वित्तीय परिणाम केवल विचाराधीन उत्पाद तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें अन्य प्रमुख उत्पाद भी शामिल हैं।
29. वर्तमान मामले में, आवेदक के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है। अन्य भारतीय उत्पादक के समर्थन से, दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन का हिस्सा है।
30. आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। डीजी सिस्टम के लेनदेनवार आंकड़ों की जांच की गई है। यह देखा जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के दावे पर विवाद नहीं किया है।

31. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र -पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

### ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

#### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग व्यापार सूचना 10/ 2018 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।
- ii. घरेलू उद्योग ने विनिर्माण प्रक्रिया और अनुसंधान एवं विकास व्यय, जुटाई गई धनराशि और बिक्री लागत से संबंधित आंकड़ों में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- iii. घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र -पत्र में उत्पादन प्रक्रिया और कच्चे सामग्री को भी गोपनीय होने का दावा किया है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों पर कि जेएमएफ परफॉर्मेंस मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है; उत्तरदाता संबद्ध सामानों का आयातक है, न कि उत्पादक या निर्यातक। उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रकटन से संबंधित दायित्व, उत्पादन में शामिल संबंधित पक्षकार और कच्चे माल स्रोत, आयातक पर लागू नहीं होते हैं।
- v. घरेलू उद्योग जांच शुरू करने की शर्त को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं लाया है, जबकि जांच प्राधिकारी ने संबंधित तथ्यों की उचित और पर्याप्त जांच नहीं की है।
- vi. गौण स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं और प्रामाणिक नहीं हैं।
- vii. घरेलू उद्योग को दो दशकों से अधिक समय तक आयात प्रतिस्पर्धा से लंबे समय तक और बार-बार सुरक्षा मिली है।
- viii. वित्त मंत्रालय ने पहले भी विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाने से इनकार कर दिया था।

#### ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत गणना में दावा की गई समायोजनों की सूची को गोपनीयता के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ii. कुछ प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिसमें उत्पादित उत्पादों की सूची, उत्पादन और बिक्री में शामिल संबद्ध पक्षकारों, विचाराधीन उत्पाद की बिक्री, वित्तीय लेखांकन प्रणाली और वितरण का चैनल शामिल है, जिसमें कोई गोपनीय सार या तर्क नहीं है।
- iii. आवेदक ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से को कुल भारतीय उत्पादन में प्रस्तुत किया था और उसके बाद प्रवृत्ति में विवरण प्रदान किया था।
- iv. पक्षकार द्वारा मांगे गये अगोपनीय रूपांतर में ऐसी सूचना से संबंधित है जो आवेदन-पत्र -पत्र के गोपनीय रूपांतर का हिस्सा भी नहीं है।
- v. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं, डीजीटीआर नियमित रूप से डीजी सिस्टम या डीजीसीआईएंडएस से सूचना मांगता है और निर्धारण के लिए उसी को अपनाता है।
- vi. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक उपायों का एक आदतन प्रयोक्ता है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए 6 उदाहरणों को उजागर किया है कि घरेलू उद्योग एक आदतन प्रयोक्ता है, और 3 जांचों के दौरान, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भी नहीं कर रहा था।
- vii. अनुचित आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग कितनी बार निवारण मांग सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- viii. इस अनुरोध पर कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पिछली जांच में उपाय नहीं लगाए गए थे, वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। उपायों को जारी रखने और

लगाने का मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को एंटी-पाटनरोधी शुल्क के रूप में आगे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

*“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*

35. घरेलू उद्योग और प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक जांच की गई और तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षति रहित कीमत, उत्पादन संबंधी सूचना की लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी सूचना क्षति अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना को रेंज में प्रकट किया गया है।

36. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का प्रकटन नहीं किया है, उसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय होने का दावा किया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं।

37. प्राधिकारी ने लगातार हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

38. जहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग एक आदतन प्रयोक्ता है, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें जांच के बाद और जब अपेक्षित कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तभी की जाती हैं। घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों से कितने बार निवारण मांग सकता है, इस पर कानून के तहत कोई रोक नहीं है। एक पाटनरोधी जांच में, प्राथमिक अधिदेश यह आकलन करने के लिए है कि क्या पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति के आलोक में उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। पाटन और क्षति का मुकाबला करने के लिए जब तक आवश्यक हो, किसी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है।

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग अविश्वसनीय आयात आंकड़ों पर निर्भर है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करने और वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से लेनदेन-वार सीमा शुल्क आंकड़ों पर भरोसा किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन-पत्र में बताई गई आयात की मात्रा और कीमत में कोई वास्तविक अंतर भी सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी आवेदन-पत्र सूचित आयातों की मात्रा और कीमत तथा जांच की शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा और कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं पाते।
40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है और प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जांच नहीं की है, यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त सूचना दी थी प्राधिकारी द्वारा इस बात से संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी कि जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य था। वास्तव में, जांच से यह सिद्ध हुआ है कि प्रत्येक उत्तरदाता निर्यातक और प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

### च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

#### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- प्राधिकारी को मासिक आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।
  - केपीसी ने सभी पिछली जांचों में प्राधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है। केपीसी द्वारा प्रस्तुत लागत और बिक्री आंकड़ों को कुछ समायोजन के अधीन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसके आंकड़ों के आधार पर मार्जिन निर्धारित किया गया है। इससे पता चलता है कि केपीसी के आंकड़े विश्वसनीय है।
  - यदि वित्तीय व्यय (उदाहरण के लिए, उधार पर ब्याज) एसजीएंडए में शामिल हैं और इस प्रकार उत्पादन की लागत में शामिल हैं, तो समरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय आय, अल्पकालिक प्रचालनात्मक निधियों से ब्याज आय को भी घटाया जाना चाहिए। ऐसी आय की कटौती करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एक विषम उपचार होता है, कृत्रिम रूप से उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और पाटन मार्जिन विकृत हो जाता है।
  - केपीसी ने बाज़ारी कीमतों पर असम्बद्ध तृतीय-पक्षकार आपूर्तिकर्ताओं से ब्यूटाडीन खरीदा।
  - कुम्हो कोरिया गणराज्य में एकमात्र ई-एसबीआर उत्पादक है और निर्यात पर इसकी निर्भरता पिछले सालों की तुलना में काफी कम हो गई है।
  - विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी ब्यूटाडीन को असंबद्ध तीसरे पक्षकार आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाता है।
  - कुल ब्यूटाडीन की एक छोटी मात्रा पुनर्संसाधित ब्यूटाडीन (आर-बीडी) से प्राप्त होती है, जिसे उल्सान सिंथेटिक रबर प्लांट में उत्पादन प्रक्रिया से उप-उत्पाद के रूप में पुनः प्राप्त किया जाता है।
  - कुम्हो की उत्पादन लागत में ब्यूटाडीन का मूल्यांकन वास्तविक खरीद मूल्यों और उचित पुनर्संसाधन लागत को दर्शाता है।
  - कुम्हो द्वारा हंजू को भुगतान की जाने वाली उपयोगिता दरें असंबद्ध पक्षकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों के समान हैं और सभी प्रयोक्ताओं पर समान रूप से लागू मानक प्रशुल्क प्रणाली को दर्शाती हैं।
  - कुम्हो ने यह दर्शाने के लिए पूर्ण विवरण, सहायक दस्तावेज और मूल्यांकन लिंकेज प्रदान किए हैं कि उप-उत्पादों से खरीदी गई भाप और कैप्टिव भाप दोनों का सही मूल्यांकन किया गया है और उत्पादन लागत में शामिल किया गया है।
  - इस बात के संबंध में कि वित्तीय आय को उत्पादन लागत से समायोजित नहीं किया जा सकता है, कुम्हो का सादर अनुरोध है कि ऐसी आय की कटौती करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एक असंतुलित उपचार होता है, कृत्रिम रूप से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और पाटन मार्जिन विकृत हो जाता है। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (उदाहरण के लिए, आईएफआरएस) द्वारा समर्थित है, जो वित्तीय आय और व्यय की नेटिंग की अनुमति देता है, और प्रमुख जांच अधिकारियों जैसे यूएसडीओसी की

परिपाटी द्वारा समर्थित है, जिन्होंने उचित रूप से प्रमाणित होने पर अल्पकालिक ब्याज आय की कटौती को मान्यता दी है।

- xii. घरेलू उद्योग के कच्चे माल की खरीद कीमत में अंतर, कुम्हो के कच्चे माल की वास्तविक खरीद कीमत से यह मतलब नहीं है कि कच्चे माल की खरीद कीमत अविश्वसनीय है।

## च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. यूरोपीय संघ का सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों पर आधारित है और यूरोपीय संघ में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- ii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की प्रचलित कीमतों या निर्यात/आयात कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने में असमर्थ था क्योंकि उत्पाद का कोई समर्पित कोड नहीं है।
- iii. आवेदक ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात करने वाले देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- iv. यहां तक कि एक तिमाही के भीतर भी कीमत में वृद्धि और कमी का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं है। जांच की अवधि के लिए त्रैमासिक या वार्षिक भारित औसत विश्लेषण करना उचित नहीं होगा।
- v. प्राधिकारी को अन्य प्रतिभागी उत्पादकों और घरेलू उद्योग की रिपोर्ट की गई ब्यूटाडीन खपत कीमत और खपत कारक की तुलना केपीसी द्वारा दर्ज औसत ब्यूटाडीन खपत कीमत और खपत कारक से करनी चाहिए।
- vi. प्राधिकारी को केपीसी के संचालन के लिए बिजली खपत कारक का घरेलू उद्योग और अन्य प्रतिभागी उत्पादकों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी से बिजली का उत्पादन करता है।
- vii. चूंकि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया तुलनीय है, इसलिए प्राधिकारी को लागतों की तुलना करनी चाहिए।
- viii. यदि केपीसी ने नकारात्मक ब्याज आय को लागत समायोजन के रूप में रिपोर्ट किया है, तो प्राधिकारी को इसे नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए क्योंकि विचाराधीन गैर-उत्पाद से संबंधित संचालन से ब्याज आय को विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- ix. प्राधिकारी को मूल्यांकन पद्धति और आंतरिक हस्तांतरण कीमतों की उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए, जिस पर केपीसी द्वारा संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया में भाप आवंटित की जाती है, क्योंकि यह अन्य उत्पादों से उप-उत्पाद के रूप में समान उत्पन्न कर रहा है।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

43. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(ग) "सामान्य मूल्य", किसी समान वस्तु के संबंध में, इसका अर्थ है-

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है:

- i. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- ii. पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
- iii. पॉस्को इंटरनेशनल इटालिया एस.आर.आई
- iv. स्टर्लिटामक पेट्रोकेमिकल प्लांट जेएससी, रूस
- v. बीएसटी इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- vi. एक्सपोल डिस टिकारेट लिमिटेड शिरकेती, तुर्की
- vii. बोनेक्स – एफजेडसीओ, रूस।

45. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

### च.3.1 यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत

46. यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए समायोजित संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है।
47. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह से संबंधित खर्च, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग खर्चों के कारण मूल्य समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

### च.3.2 जापान के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत

48. जापान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए विधिवत समायोजित संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है।
49. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों में प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह से संबंधित खर्च, बीमा, क्रेडिट लागत और पैकिंग खर्च के कारण कीमत समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

### च.3.3 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत

#### क. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी)

50. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी) ने कोरिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने उत्पाद का निर्यात सीधे और पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, पोस्को इंटरनेशनल इटालिया एसआरएल और अपोलो टायर होल्डिंग्स (सिंगापुर) पीटीई के माध्यम से किया है। पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और पोस्को इंटरनेशनल इटालिया एसआरएल ने पूरे उत्तर दायर किए हैं। हालांकि अपोलो टायर होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है।
51. जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सामानों का \*\*\* एमटी बेचा है। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

52. प्राधिकारी ने उत्पादक और निर्यातक मेसर्स केपीसी के परिसर में सत्यापन किया। सत्यापन रिपोर्ट निर्यातक/उत्पादक को भेज दी गई थी और इस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना और प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कमी की सीमा तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर निर्यातक के उत्पादन की लागत निर्धारित की है। उत्पादन की लागत को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उत्पादक/निर्यातक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे गैर-प्रचालनात्मक आय या लागत के साथ समायोजित किया गया है।
53. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाता है। यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम है, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर मासिक आधार पर व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की गई है। जहां मात्रा के संदर्भ में लाभदायक लेनदेन किसी माह विशेष में असाधारण रूप से कम है, वहां उस माह के लिए सामान्य मूल्य एसजीए और लाभ मार्जिन सहित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, उत्पादक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, उत्पादक के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
54. जांच की अवधि के दौरान उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद के भारत को निर्यात के \*\*\*एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने उत्पाद का निर्यात सीधे भारत के साथ-साथ अपने व्यापारियों, अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल, पोस्को इटली और अपोलो टायर होल्डिंग्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड के माध्यम से किया है। पोस्को इंटरनेशनल, पोस्को इटली ने जांच में भाग लिया है लेकिन अपोलो टायर होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, अतः अपोलो टायर होल्डिंग्स (सिंगापुर) पीटीई के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी द्वारा उन मामलों में प्रश्नावली के उत्तरों को स्वीकार करने की परिपाटी के अनुरूप उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के निमित्त दावा किए गए समायोजन को उचित सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है।

**ख. कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादक और निर्यातक**

55. कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इसे देखते हुए, नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोरिया से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**च.3.4 रूस के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत**

**क. स्टर्लिटामक पेट्रोकेमिकल प्लांट जेएससी, रूस**

56. स्टर्लिटामक पेट्रोकेमिकल प्लांट जेएससी, रूस ने रूस में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को \*\*\* एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
57. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में मूल्य का\*\*\* एमटी रिपोर्ट किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने एक व्यापारी अर्थात् कार्टली टर्मी प्लास्टिक किमया टिक लि. एसटीआई के माध्यम से भारत को 100% संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। जिन्होंने भाग लिया है और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। प्रतिक्रिया की जांच की गई और यह देखा गया कि व्यापारी ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दायर नहीं किया है। इसलिए, व्यापारी को कमियों को बताते हुए एक कमी पत्र जारी किया गया था और यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करेंगे, जिसका परिणाम निर्यातक/उत्पादक के लिए कम अनुकूल हो सकता है। तथापि, उक्त व्यापारी ने उठाई गई कमियों का कोई उत्तर नहीं दिया है। इसलिए यह माना जाता है कि उत्पादक ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया है। अतः, प्राधिकारी, ने उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन परिकल्पित नहीं किया है।

**ग. रूस से अन्य उत्पादक और निर्यातक**

58. यह नोट किया जाता है कि रूस के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में सहयोग नहीं किया है। इसे देखते हुए, नियमावली के नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार निकाली गई निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**च.3.5 थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत****क. बीएसटी इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड**

59. बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लि, थाईलैंड ने थाईलैंड में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को \*\*\* एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

60. प्राधिकारी ने निर्यातक के परिसर में सत्यापन किया। सत्यापन रिपोर्ट निर्यातक/ उत्पादक को भेज दी गई थी और इस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सूचना और प्रभावली प्रतिक्रिया में कमी की सीमा तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर निर्यातक की उत्पादन लागत निर्धारित की है। उत्पादन लागत को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उत्पादक/निर्यातक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे गैर-प्रचालनात्मक आय या लागत के साथ समायोजित किया गया है। तदनुसार, जांच की अवधि के प्रत्येक महीने के लिए सूचित उत्पादन लागत को भी उचित रूप से समायोजित किया गया है और वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से अपनाया गया है।

61. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाता है और यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान जांच में, चूंकि लाभ कमाने वाली बिक्री 80% से अधिक है तो सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, और इसे अनुमति दी गई है। तदनुसार, उत्पादक के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

62. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के \*\*\* एमटी का निर्यात सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने उत्पाद का निर्यात सीधे भारत के साथ-साथ अपने व्यापारियों के माध्यम से भी किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भाग लिया है। अंतर्देशीय माल भाड़ा, पैकिंग खर्च और क्रेडिट लागत के कारण दावा किए गए समायोजन को अनुमति दी गई है।

**घ. थाईलैंड से अन्य उत्पादक और निर्यातक**

63. वर्तमान जांच में थाईलैंड के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। इसे देखते हुए, नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार प्राप्त निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**च.3.6 पाटन मार्जिन**

64. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	सामान्य मूल्य (डॉ./एमटी)	निर्यात कीमत (डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन		
					डॉ./एमटी	%	रेंज
क	यूरोपीय संघ						
1	कोई	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20
ख	जापान						

1	कोई	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	10-20
ग	कोरिया						
1	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी)	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	0-10
घ	रूस						
1	कोई	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	20-30
ड.	थाईलैंड						
1	बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य	डॉ./ एमटी	***	***	***	***	10-20

65. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और काफी है।

#### छ. क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- कोरिया से आयात उचित कीमत पर हैं। यूरोपीय संघ और रूस से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- घरेलू उद्योग का प्रभावी निर्यात कीमत घरेलू प्रयोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतसे लगभग \*\*\* डॉ./एमटी कम है।
- घरेलू कीमत में उतार-चढ़ाव इनपुट लागत के उतार-चढ़ाव के अनुरूप हैं। घरेलू उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयाँ कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव के कारण हैं, न कि आयात प्रतिस्पर्धा के कारण।
- जांच की अवधि के कई महीनों में महीनेवार कीमत कटौती नकारात्मक है, जो सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
- श्रम लागत में असमान वृद्धि से पता चलता है कि बढ़ती मजदूरी व्यय घरेलू उद्योग के सामने आने वाली लागत दबावों का कारण हो सकता है।
- बीएसटी इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड की कारखानागत लागत में जांच की अवधि में लगभग 25% का अंतर दर्शाया है।
- नियोजित पूंजी पर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी को पाटित आयातों के प्रभाव से मुक्त अवधियों के दौरान ऐतिहासिक लाभ मार्जिन पर विचार करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उन्हें मात्रात्मक क्षति और आयातों की कोई हानि नहीं हुई है, और इसके बजाय केवल आपूर्ति अंतराल को पूरा किया है।
- कुल भारतीय मांग में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में व्यापक विस्तार हुआ है।

- x. घरेलू और आयात कीमतें दोनों उल्लिखित लागत संचालनों के अनुरूप हैं, अर्थात् कच्चे तेल से जुड़ी फीडस्टॉक की बिक्री की कीमतों में अस्थिरता जांच की अवधि के दौरान ऊपर की ओर चली गई है, जो कच्चे माल की लागत संचालनों के अनुरूप है, और न तो कोई निरंतर ह्रास या न्यूनीकरण दर्शाती हैं।
- xi. उत्पादन और उपयोग में सुधार से पता चलता है कि घरेलू उद्योग बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा क्षमता को कुशलतापूर्वक लगाने में सक्षम रहा है।
- xii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है।
- xiii. रोजगार का स्तर मामूली रूप से बढ़ा है, लेकिन मजदूरी तेजी से बढ़ी है, जो यह दर्शाता है कि लाभप्रदता पर बोझ आयात प्रतिस्पर्धा के बजाय आंतरिक लागत वृद्धि से उत्पन्न होता है।
- xiv. कारणात्मक संपर्क का अभाव है और मार्जिन पर कोई भी अस्थायी दबाव अंतर्निहित अपरिष्कृत से जुड़ी अस्थिरता का परिणाम है।
- xv. दावा की गई कोई भी क्षति स्व-प्रभावित है और कमजोर निर्यात रणनीति और संरचनात्मक सीमाओं के कारण होती है।
- xvi. आवेदक एक पूर्ण रूप से पिछड़ा-एकीकृत उत्पादक है जिसके पास अपनी पेट्रोकेमिकल श्रृंखला में स्टाइरीन, ब्यूटाडीन और अन्य फीडस्टॉक तक वरीयता प्राप्त पहुंच है।
- xvii. आरआईएल ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल को सुरक्षित किया। परिणामस्वरूप, आईएसआरपीएल के समान, कच्चे माल से जुड़ी कीमतों में अस्थिरता को इसकी लागत संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। यदि आरआईएल इनपुट अस्थिरता के कारण क्षति का दावा करता है, तो यह केवल आंतरिक अक्षमताओं और खरीद विकल्पों का परिणाम हो सकता है, न कि विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध आयात के कारण।
- xviii. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए ब्यूटाडीन की अंतरण कीमत पर पहुंचने के आधार की जांच करनी चाहिए, और यदि इसे अतीत में लगातार लागू किया गया है या जांच की अवधि के दौरान इसमें बदलाव किया गया है।
- xix. आईएसआरपीएल का वित्तीय जोखिम प्रोफाइल मजबूत बना हुआ है, जिसकी विशेषता स्वस्थ लाभप्रदता, आरामदायक पूंजी संरचना और मजबूत तरलता है।
- xx. यह उल्लेख करते हुए कि आईएसआरपीएल के पास एक सूत्र आधारित खरीद है जिसके परिणामस्वरूप इसका निष्पादन काफी बेहतर है, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि आईएसआरपीएल, आरआईएल से बेहतर निष्पादन कर रहा है कर रहा है।
- xxi. आवेदक ने स्वीकार किया कि उसे कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- xxii. आवेदक के आंकड़ों से पता चलता है कि जांच की अवधि के कई महीनों में कीमत कटौती नकारात्मक है।
- xxiii. आवेदक की अपनी बिक्री कीमतों को बढ़ाने की क्षमता प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आयात ने कीमतों का ह्रास नहीं किया है।
- xxiv. कमजोर वित्तीय स्थिति आंतरिक अक्षमताओं और खरीद पसंद के कारण है।
- xxv. आईएसआरपीएल पूरी अवधि में अत्यधिक लाभदायक बना हुआ है।
- xxvi. घरेलू उद्योग ने अपने पीओएचडब्ल्यूएस के पैरा 88 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2006) 202 ई.एल.टी 23 (ए.ससी)] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह सादर अनुरोध त किया जाता है कि उद्धृत अंश निर्णय के 'रेशियो डेसिडेन्टी' के बजाय 'ओबिटर डिक्टा' दिखता है।
- xxvii. यूरोपीय बाजार के हानि के कारण भारत को रूसी निर्यात का विचलन सट्टा है और किसी ठोस आंकड़ों या विश्लेषण द्वारा समर्थित नहीं है।
- xxviii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मुख्य रूप से बिक्री की बढ़ी हुई लागत के कारण था, न कि संबद्ध आयात के कारण।
- xxix. क्षमता या निर्यात की मौजूदगी पाटन या क्षति को सिद्ध नहीं करती है।

**छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

67. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटन और सब्सिडीकरण के इस इतिहास को मानना महत्वपूर्ण है जो दो दशकों से निर्यातकों के लगातार व्यवहार को दर्शाता है।
- ii. उत्पादन प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, और घरेलू उद्योग स्टाइरीन का आयात करता है, जिसके लिए ऑर्डर बहुत पहले ही दे दिए जाते हैं। यदि उत्पादन रोक दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को भंडारण की महत्वपूर्ण लागत वहन करनी होगी।
- iii. जांच की अवधि में आयात की मात्रा सबसे अधिक थी।
- iv. भारत में कुल आयात, उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है।
- v. भारत में 2 उत्पादक हैं और संबद्ध देशों में लगभग 14 सक्रिय उत्पादक हैं। भारत में कुल 16 उत्पादक भारतीय बाजार में 8 प्रमुख टायर कंपनियों को \*\*\* एमटी बेचत रहे हैं, जो भारत में सकल खपत का \*\*\*% है।
- vi. टायर कंपनियां जोरदार बातचीत और मूल्य पर बातचीत करती हैं, और इसलिए, कीमत कटौती कम है। कीमत में उतार-चढ़ाव भारतीय बाजार में प्रचालन करने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी को दर्शाता है।
- vii. संबद्ध आयात से कीमत न्यूनीकरण हुआ है।
- viii. घरेलू उद्योग की क्षमता वर्षों से स्थिर रही है। घरेलू उद्योग के संयंत्र का उपयोग 1500 और 1700 श्रृंखला की ई-एसबीआर दोनों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
- ix. घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता थी।
- x. घरेलू बिक्री में वृद्धि लाभ में गिरावट की लागत पर आई है।
- xi. घरेलू उद्योग ने अनावश्यक निर्यात किये हैं।
- xii. बाजार का लगभग एक तिहाई हिस्सा संबद्ध आयात द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- xiii. उत्पादन और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ गई है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।
- xiv. घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति की अवधि में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। प्रति इकाई लाभ की तुलना लागत में वृद्धि से भी की जानी चाहिए।
- xv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को बिक्री लागत पर [\*\*\*] प्रतिशत के लाभ की कमी आई है।
- xvi. आयात की पहुंच कीमत कच्चे माल की लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है।
- xvii. क्षति की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह सबसे कम स्तर पर है।
- xviii. क्षति की अवधि में नकद लाभ भी कम हुआ है और जांच की अवधि में यह सबसे कम था।
- xix. ब्याज पूर्व लाभ और निवेश पर आय में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- xx. कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत यूरोपीय संघ की पहुंच कीमत से कम है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि यूरोपीय संघ से आयात के कारण क्षति हुई है, लेकिन कोरिया गणराज्य से आयात नहीं हुआ है, जब घरेलू उद्योग की कीमतें पाटन के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित हैं।
- xxi. कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव केवल घरेलू उद्योग के लिए ही विशिष्ट नहीं था।
- xxii. प्राधिकारी और अधिकरण ने यह विचार किया है कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए 22% की आय की अनुमति दी जाएगी।
- xxiii. यूरोपीय एसबीआर बाजार कमजोर घरेलू मांग से जूझ रहा है। यूरोपीय उत्पादकों को पहले से ही अत्यधिक बेकार क्षमताओं का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अत्यधिक घरेलू बिक्री खो दी है।

- xxiv. कोरिया और थाईलैंड में उत्पादकों के पास काफी उच्च क्षमता है, जिसका उपयोग निर्यात बाजारों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- xxv. जारी संघर्ष के कारण, रूसी उत्पादकों ने महत्वपूर्ण बिक्री खो दी है और भारत सहित अन्य बाजारों में अपना निर्यात मोड़ दिया है।
- xxvi. यदि घरेलू उद्योग को क्षति आंतरिक अक्षमताओं और खरीद विकल्पों के कारण हुई थी, तो उसे पिछले वर्षों में भी क्षति हुई होती।
- xxvii. इस अनुरोध पर कि आईएसआरपीएल के आंकड़ों की भी जांच की जानी है, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और क्षति का मूल्यांकन केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तक ही सीमित रखने की आवश्यकता है।
- xxviii. यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि आईएसआरपीएल को क्षति नहीं हुई है। आईएसआरपीएल की बिक्री में वृद्धि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण है। आईएसआरपीएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि कम कीमत वाले आयात ने उसके निष्पादन को भी प्रभावित किया है।
- xxix. आईएसआरपीएल को फॉर्मूला-आधारित अंतरण कीमत निर्धारण पर आईओसीएल के साथ एक दीर्घकालिक करार के माध्यम से ब्यूटाडीन की सुरक्षित आपूर्ति द्वारा समर्थित है।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

68. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
69. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नीचे हल किया गया है।
70. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि आईएसआरपीएल के आंकड़ों की भी जांच की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि, नियमावली के नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा या घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसलिए, क्षति के मूल्यांकन को परिभाषित घरेलू उद्योग तक ही सीमित रखने की आवश्यकता है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो नियम 2(ख) की आवश्यकता को पूरा करता है।
71. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग कम कीमतों पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी घरेलू बिक्री की तुलना में संबद्ध सामानों की बहुत कम मात्रा का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये निर्यात अनुचित बिक्री थी और घरेलू बाजार में बेचने में अपनी अक्षमता के कारण और मालसूची जमा होने से रोकने के लिए की गई थी। यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षति की जांच के लिए केवल घरेलू बाजार के लिए अलग किए गए आंकड़ों पर विचार किया गया है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने कम कीमत पर निर्यात किया है, यह निर्णय करने के लिए असंगत है कि क्या आयात पाटित कीमतों पर हैं या नहीं और क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों को किसी भी मामले में निर्यात बिक्री को अलग करने के बाद अपनाया गया है।
72. हितबद्ध पक्षकारों ने क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर निश्चित 22% आय पद्धति पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है, और पाटन के आरोपों से मुक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पूंजी पर वास्तविक आय को उचित आय के बेंचमार्क के रूप में अपनाने का सुझाव दिया है। हितबद्ध पक्षकारों ने ब्रिज

स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टेट अधिकरण के निर्णय पर भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-III में नियोजित पूंजी पर उचित आय (पूर्व-कर) का उल्लेख किया गया है, और प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी है कि वे नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित करे, जो 22% है। वर्तमान मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि वर्तमान मामले के लिए 22% से कम आय उचित होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ट्रिब्यूनल के निर्णयों के बाद के मामलों में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत, ट्रिब्यूनल ने मेरिनो पैनल उत्पादों बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स पर्स्टोर्प केमिकल्स जीएमबीएच और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में नियोजित पूंजी पर 22% आय लागू करने की प्राधिकारी की परिपाटि को बरकरार रखा है। प्राधिकारी का यह भी मानना है कि विभिन्न निर्धारणों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 22% पर उचित आय का विचार उचित है। इसलिए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पद्धति पर 22% आय पर विचार करना उचित समझते हैं।

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुोध के संबंध में कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण विचाराधीन उत्पाद की लागत अस्थिर है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक वैश्विक कारक हैं, जो अकेले भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट नहीं है और इसलिए इसने संबद्ध देशों के उत्पादकों को भी प्रभावित किया होता। उद्योग से कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार उत्पाद की कीमतें समायोजित करने की उम्मीद है। तथापि, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अपनी कीमतों को समायोजित करने से रोका गया था, जो घरेलू कीमतों का ह्रास कर रही थी और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रही थी। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत में गिरावट आई है, और फिर भी, घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गई हैं।

74. घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमत निर्धारण नीति क्षति की अवधि में सुसंगत पाई गई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमतें यहां तक कि भाग लेने वाले उत्पादक की कच्चे माल की कीमतों से कम हैं।

#### क्षति का संचयी मूल्यांकन

75. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यक्षीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:

- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं; और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

76. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में परस्पर तुलनीय गुण-धर्म हैं और उनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए और ग्राहकों के समान क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर तुलनीय तथा साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अतः यह माना जाता है कि वर्तमान जांच में क्षति का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा।

#### क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

77. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थन पत्र के अनुसार अन्य उत्पादक की बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	114	116

2	समर्थकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	102	102
3	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	64,689	63,083	67,987	74,579
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	2,657	3,813	4,322	5,123
5	खपत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	111	115

78. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में संबद्ध उत्पाद की मांग धीरे-धीरे बढ़ी है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

### छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### क. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

79. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है, या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, लेनदेन-वार सीमा शुल्क आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध आयात	एमटी	64,689	63,083	67,987	74,579
क	जापान	एमटी	3,558	1,198	3,882	3,595
ख	ईयू	एमटी	22,963	27,401	20,769	29,923
ग	रूस	एमटी	10,285	4,646	12,551	8,813
घ	कोरिया गणराज्य	एमटी	27,850	29,838	27,879	27,445
ड.	थाईलैंड	एमटी	34	0	2,907	4,803
च.	अन्य	एमटी	2,657	3,813	4,322	5,123
	खपत	एमटी	***	***	***	***
2	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	105	113
ख	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	100	107
ग	कुल आयात	%	96%	94%	94%	94%

80. यह देखा जाता है कि:

- क. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में घटी और उसके बाद फिर बढ़ गई। जांच की अवधि में आयात सबसे अधिक था।
- ख. उत्पादन और खपत के मुकाबले आयात 2022-23 में बढ़ा, 2023-24 में थोड़ा कम हुआ और जांच की अवधि में फिर बढ़ गया।
- ग. पूरी क्षति अवधि के दौरान, कुल आयात में आयात का हिस्सा 90% से ज्यादा रहा है।

घ. क्षति अवधि के दौरान, भारत में कुल आयात, उत्पादन और खपत के मुकाबले आयात में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है।

### छ. 3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

81. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना ज़रूरी है कि क्या भारत में वैसे ही उत्पादों की कीमतों की तुलना में, कथित तौर पर पाटित आयातों से कीमतों में कोई खास कटौती हुई है; या क्या ऐसे आयात का असर कीमतों को कम करना या कीमतों में उस बढ़ोतरी को रोकना है, जो सामान्यः इस हालात में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाला असर—खास तौर पर कीमत कटौती और कीमतों में कमी/गिरावट (यदि कोई हो) के संदर्भ में। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना, संबंधित देश से आयात किए गए संबद्ध सामानों के आयातों की 'पहुंच कीमत' से की गई है।

### क. कीमत कटौती

82. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत से की गई है। इस संबंध में, उत्पाद की पहुंच कीमत और सभी शुल्कों और करों को घटाकर, व्यापार के समान स्तर पर घरेलू उद्योग के औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है।

विवरण	निवल बिक्री कीमत रु./एमटी	पहुंच कीमत रु./एमटी	कीमत कटौती रु./एमटी	कीमत कटौती %	रेंज
जापान	***	***	***	***	10-20%
यूरोपीय संघ	***	***	***	***	0-10%
रूस	***	***	***	***	10-11%
कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	0-10%
थाइलैंड	***	***	***	***	0-10%
भारित औसत	***	***	***	***	10-20%

83. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातित सामानों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। सभी संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक और अधिक है।

### ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

84. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव ऐसी कीमतों को अत्यधिक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच निम्नानुसार की जाती है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	99	115
3	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	102
5	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	89	87

85. यह नोट किया जाता है कि:

- क. 2022-23 में, भले ही घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत बढ़ गई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट आई। 2023-24 में, बिक्री कीमत और बिक्री की लागत दोनों में गिरावट आई। घरेलू उद्योग 2023-24 तक बेहतर लाभ कमा रहा था।
- ख. आयात की पहुंच कीमत 2022-23 तक घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, इसके बाद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे पहुंच गई और जांच की अवधि में अंतर बढ़ गया।
- ग. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई है।
- घ. क्षति की अवधि के दौरान, जबकि बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, आयात की पहुंच कीमत में गिरावट आई है।
- ड. जब पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाता है, तो जांच की अवधि में बिक्री की लागत 16% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी बढ़ गई, लेकिन बिक्री कीमत में केवल 13% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई।
- च. आधार वर्ष की तुलना में देखे जाने पर, जांच की अवधि में बिक्री की लागत में 15% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई, लेकिन बिक्री कीमत में केवल 2% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई। इसके अलावा, आयात की पहुंच कीमत में केवल \*\*\* तक की वृद्धि हुई।
- छ. आयात की पहुंच कीमत आधार वर्ष में बिक्री की लागत की तुलना में रु. [\*\*\*] प्रति एमटी से अधिक थी। जांच की अवधि में यह अंतर घटकर मात्र रु [\*\*\*] प्रति एमटी रह गया।
- ज. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में आयात ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का हास किया है।

### छ. 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

### क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

87. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	111	110
5	उत्पादन-संयंत्र	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	111	110
7	उत्पादन – पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	108	115
9	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***

10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	114	116
11	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	53	92

88. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता वर्षों से स्थिर रही है। घरेलू उद्योग के संयंत्र का उपयोग 1500 और 1700 श्रृंखला की ई-एसबीआर दोनों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग का निर्धारण करने के लिए पीयूसी के लिए संयुक्त उत्पादन क्षमता और उत्पादन पर विचार किया है। क्षति की अवधि में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2022-23 में मामूली रूप से घट गया और उसके बाद बढ़ गया। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2022-23 में उत्पादन में गिरावट रखरखाव बंदी के कारण हुई थी। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ गया है। क्षमता उपयोगिता ने उत्पादन के समान रुझानों को अपनाया है।
- ग. घरेलू बिक्री में 2022-23 में मामूली गिरावट आई, लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. जांच की अवधि में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, लेकिन यह लाभ में गिरावट की कीमत पर हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसे क्षति की अवधि के दौरान घाटे पर निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था।

ख. बाजार हिस्सा

89. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है: -

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	102	101
3	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	92	89
5	संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	103	110
7	अन्य देश	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	200	200

90. यह देखा जाता है कि:-

- क. 2022-23 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, 2023-24 में मामूली वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में समान स्तर पर बनी रही।
- ख. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन समर्थक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- ग. संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी है, 2023-24 में घट गई है और जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई है। संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि में बढ़ गई है।

## ग. मालसूची

91. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	380	130	161
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	75	158
5	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	87	159

92. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूची क्षति की अवधि में सबसे अधिक थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह पाटन के कारण घरेलू बाजार में बेचने में सक्षम नहीं रहा है और मालसूची संचयन से बचने के लिए काफी हानियों पर निर्यात करने के लिए मजबूर था। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग के साथ अंतिम स्टॉक बढ़ गया है।

93. क्षति की अवधि में औसत सूची भी बढ़ गई है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

## घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

94. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीवीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	49	39
3	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	56	46
5	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	57	49
7	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	65	57
9	ब्याज पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	55	47
11	ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	63	55
13	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	64	54

95. यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग के लाभ में 2022-23 में गिरावट आई, 2023-24 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में फिर से गिरावट आई। घरेलू उद्योग उल्लेख किया है कि 2022-23 में लाभ पर भी आवेदक द्वारा किए गए बंदी का प्रभाव पड़ा है।

- ख. आधार वर्ष में प्रति इकाई लाभ रु [\*\*\*] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है, इस प्रकार 61% की गिरावट दर्शाई गई। क्षति की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह सबसे निचले स्तर पर है।
- ग. पूरी क्षति अवधि में दौरान नकद लाभ में भी गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह सबसे कम थी। आधार वर्ष में प्रति इकाई नकद लाभ [\*\*\*] रुपये प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में [\*\*\*] रुपये प्रति एमटी हो गया है। क्षति की अवधि में नकद लाभ में 51% की गिरावट आई है।
- घ. ब्याज पूर्व लाभ जांच की अवधि में आधार वर्ष में रु [\*\*\*] रुपये प्रति एमटी से घटकर रु [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है, इस प्रकार 53% की गिरावट दर्शाई गई।
- ड. घरेलू उद्योग के निवेश पर आय में क्षति की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि में आरओआई में 46% की गिरावट आई।

#### ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

96. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	101	108
3	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	157	182
5	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	108	115
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	107	107

97. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त मजदूरी में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इन मापदंडों में वृद्धि के साथ उत्पादकता में सुधार हुआ है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग ने इन मापदंडों में क्षति का दावा नहीं किया है।

#### च. वृद्धि

98. उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीवीटी, पीवीआईटी और नकद लाभ के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	पीओआई
1	उत्पादन	%	-12%	22%	7%
2	घरेलू बिक्री	%	-5%	20%	2%
3	लाभ/हानि	%	-58%	19%	-20%
4	नकद लाभ	%	-47%	8%	-15%
5	ब्याज पूर्व लाभ	%	-50%	12%	-14%

99. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने वृद्धि और कीमत मापदंडों में प्रतिकूलता में काफी गिरावट दर्ज की है। मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। हालांकि, हाल की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

**छ. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक**

100. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है और जांच की अवधि के दौरान लाभकारी कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। जबकि बिक्री लागत में क्षति की अवधि में रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में केवल रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई है। आयात की पहुंच कीमत 21,379 रुपये प्रति एमटी कम हो गई। यह देखा जाता है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता से समझौता करने के लिए मजबूर किया है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। इसलिए यह माना जाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

**ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव**

101. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण उत्पाद में निवेश की गुंजाइश है। हालांकि, वर्तमान स्तर पर, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ नए निवेश को उचित नहीं ठहराते हैं। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि एकल अंक में निवेश पर आय के साथ, कोई भी उत्पादक नए निवेश नहीं करेगा। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पाटित आयातों के कारण प्रभावित हुई है।

**झ. पाटन मार्जिन की मात्रा**

102. पाटन की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में सामानों को किस हद तक पाटित किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।

**छ.3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष**

103. यह नोट किया जाता है कि –

- क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।
- ख. आयात में निरपेक्ष रूप से और सापेक्षिक रूप से वृद्धि हुई है।
- ग. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।
- घ. जांच की अवधि में आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।
- ड. क्षति की अवधि में आयात की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के बीच अंतर में तेजी से गिरावट आई है। आयात की पहुंच कीमत आधार वर्ष में बिक्री लागत की तुलना में रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी तक अधिक थी। जांच की अवधि में यह अंतर काफी घटकर रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है।
- च. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने घरेलू बाजार में बेचने के लिए अपनी लाभप्रदता का त्याग किया है।
- छ. आयातों का देश में बाजार हिस्सेदारी का एक तिहाई हिस्सा है।
- ज. घरेलू उद्योग का अंतिम स्टॉक बढ़ गया है, और घरेलू उद्योग को मालसूची संचयन से बचने के लिए हानि पर निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था।
- झ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। आधार वर्ष में प्रति यूनिट लाभ रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है।
- ञ. आधार वर्ष में प्रति इकाई नकद लाभ रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है। क्षति की अवधि में नकद लाभ में 51% की गिरावट आई है।
- ट. ब्याज पूर्व लाभ आधार वर्ष में रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रुपये [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है।
- ठ. आयात ने घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है।
- ड. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहा है।

ढ. पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।

### छ.3.5 वास्तविक क्षति का खतरा

104. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की निम्नानुसार जांच की है:

“(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और केवल आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावना पर नहीं। परिस्थितियों में परिवर्तन जो ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें पाटन से क्षति होगी, उसे स्पष्ट रूप से अनुमानित और आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करने में, निर्दिष्ट प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है;

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि जो भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से पाटित किए गए निर्यात की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा, और जिससे आगे के आयात की मांग बढ़ने की संभावना है; और

(घ) जांची जा रही वस्तु की मालसूची।”

क. पाटित आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर

105. निम्नलिखित तालिका क्षति की अवधि में पाटित आयातों में वृद्धि दर्शाती है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	64,689	63,083	67,987	74,579
2	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	105	113
ख	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	100	107
ग	कुल आयात	%	96%	94%	94%	94%

106. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी।

ख. उत्पादकों/निर्यातकों की अधिशेष क्षमताएं

107. निम्नलिखित तालिका प्रतिभागी उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता दर्शाती है:

क्र.सं.	संबद्ध देश	क्षमता (एमटी)	निर्यात बिक्री (एमटी)	निर्यातोन्मुखता (%)	रेंज
1	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड, कोरिया	***	***	***	70-80 %
2	स्टर्लिटामक पेट्रोकेमिकल प्लांट जेएससी, रूस	***	***	***	70-80 %
3	बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड	***	***	***	60-70 %

108. यह देखा जाता है कि निर्यात उद्देश्यों के लिए क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अधिशेष क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।
109. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त रूप से अनुरोध किया है कि यूरोपीय ईएसबीआर बाजार कम मांग से पीड़ित है। यूरोपीय संघ में 1600 केटी की क्षमता के मुकाबले, घरेलू मांग केवल 700-800 केटी है। इसलिए, यूरोप में उत्पादकों को अत्यधिक बेकार क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है।
110. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि दक्षिण कोरिया संबद्ध सामानों के लिए वैश्विक बाजार में हावी है और दुनिया में सबसे बड़ी क्षमता रखता है।

**ग. आयात का संभावित ह्रासकारी/न्यूनीकरण प्रभाव**

111. निम्नलिखित तालिका बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा आयात की पहुंच कीमत दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	99	115
बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	102
पहुंच कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	89	87

112. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं, और कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है। जैसा कि पहले ही ऊपर पाया गया है, जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है। आयात की पहुंच कीमत, जांच की अवधि से पहले की अवधि में बिक्री की लागत से काफी अधिक थी, लेकिन हाल की अवधि में अंतर तेजी से कम हो गया है। इसलिए यह माना जाता है कि पाटित आयातों के कारण होने वाला न्यूनीकरण प्रभाव बढ़ने की संभावना है।

**घ. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय**

113. घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि संबद्ध देशों के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अगस्त 2023 से कोरिया और पोलैंड से ईएसबीआर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

**ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण**

114. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारक शामिल हो सकते हैं, अन्य बातों के अलावा, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई आयात की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग का हुई क्षति में योगदान हो सकता है।

**क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत**

115. भारत में कुल आयात का 94% हिस्सा संबद्ध देशों से आयात का है। अन्य देशों से संबद्ध सामानों का आयात या तो (क) नगण्य मात्रा में है, या (ख) उच्च कीमतों पर है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

**ख. मांग में संकुचन**

116. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ गई है। यह भी देखा जाता है कि घरेलू बिक्री में भी वृद्धि देखी गई है। अतः, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

**ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

117. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

118. किसी भी हितधारक पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी से संबंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अतः, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**ड. प्रौद्योगिकी का विकास**

119. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः, प्रौद्योगिकी के विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

**च. निर्यात निष्पादन**

120. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालन के लिए अलग से क्षति के आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। तथापि, यह देखा गया है कि निर्यात घाटे पर हैं।

**छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन**

121. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य ज्ञात कारक जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, उनका ऊपर दिए गए गैर-आरोपण विश्लेषण में विधिवत जांच की गई है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है। निम्नलिखित कारक सिद्ध करते हैं कि क्षति पाटन के कारण हुई है।

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हैं।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ग. आधार वर्ष की तुलना में देखे जाने पर, जांच की अवधि में बिक्री की लागत 15% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी तक बढ़ गई, लेकिन बिक्री कीमत में केवल 2% या रु. [\*\*\*] प्रति एमटी की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, आयात की पहुंच कीमत केवल \*\*\* तक बढ़ी है।

घ. जांच की अवधि में आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।

ड. चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अतः घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष में रु. [\*\*\*] प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में रु. [\*\*\*] प्रति एमटी हो गया है, इस प्रकार इसमें 61% की गिरावट दर्शाई गई है। क्षति की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह सबसे निचले स्तर पर है।

**झ. क्षति मार्जिन की मात्रा**

123. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत, कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग, यूटिलिटियों और क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और अपनाया जा रहा है।

124. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
125. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध कराया गया है: -

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	एनआईपी डॉ./एमटी	पहुंच कीमत डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन		
					डॉ./एमटी	%	रेंज
क	यूरोपीय संघ						
1	कोई	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20
ख	जापान		***	***	***	***	
1	कोई	डॉ./एमटी	***	***	***	***	20-30
ग	कोरिया		***	***	***	***	
1	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी)	डॉ./एमटी	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20
घ	रूस		***	***	***	***	
1	कोई	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20
ड.	थाईलैंड		***	***	***	***	
1	बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य	डॉ./एमटी	***	***	***	***	10-20

### ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

#### ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -
- ईएसबीआर के लिए भारतीय बाजार, विशेष रूप से 1500 श्रृंखला, मांग-आपूर्ति असंतुलन से ग्रस्त है।
  - घरेलू उद्योग ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं दर्शाया है।
  - शुल्क लगाने के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को बदलना व्यवहार्य नहीं है। आपूर्तिकर्ता में किसी भी परिवर्तन के लिए मूल उपकरण उत्पादक (ओईएम) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - पिछले चार वर्षों में, प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों की आपूर्ति न मिलने के कारण उत्पादन में रुकावट का सामना करना पड़ा है। शुल्कों का प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - संबद्ध देशों से आयात मुख्य रूप से मांग-आपूर्ति अंतर को पाटते हैं क्योंकि आवेदक अकेले देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है।
  - संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं में एमएसएमई उद्योग शामिल हैं जो मौलिक कच्चे माल की लगातार, प्रतिस्पर्धी कीमत उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।
  - टायर उद्योग की विभिन्न कच्ची सामग्रियां पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, और इन उपायों का संचयी प्रभाव बहुत अधिक होगा।

- viii. यदि प्रयोक्ता लागत पर एक छोटे प्रतिशत प्रभाव को निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर एक काल्पनिक प्रभाव शुल्क लगाने को उचित नहीं ठहराना चाहिए।
- ix. प्रस्तावित शुल्क ईएसबीआर की पहुंच कीमतों को 20-30% या उससे अधिक बढ़ा देगा।
- x. आवेदक ने तर्क दिया है कि आरआईएल के लिए मामूली मार्जिन क्षरण सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन पूरे टायर उद्योग के लिए लागत में मामूली वृद्धि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
- xi. लंबे समय तक पाटनरोधी शुल्क से प्रयोक्ता के हित की बात तो दूर है, घरेलू उद्योग को भी लाभ नहीं हुआ है।

127. नीचे दी गई तालिका में प्रतिभागी प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अनुसार निचले स्तर के उद्योग की लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा दिखाया गया है।

क्र.सं.	शीर्षक	मूल्य (रु. में)
1	अंतिम उत्पाद का नाम	टायर
2	अंतिम उत्पाद में खपत किए गए विचाराधीन उत्पादन की प्रति इकाई लागत	***
3	उपभोग की गई अन्य कच्ची सामग्री की प्रति इकाई लागत (विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर)	***
4	परिवर्तन लागत (अन्य आय के लिए क्रेडिट सहित)	***
5	कुल लागत	***
6	पीयूसी की लागत कुल लागत % के रूप में	***
7	10% एडीडी के बाद पीयूसी की प्रति इकाई लागत	***
8	10% एडीडी के बाद % के रूप में पीयूसी की लागत(कुल लागत पर)	***
9	कुल लागत में % प्रभाव (8-6)	0.41%

(स्रोत: प्रयोक्ता उद्योग प्रश्नावली उत्तर)

## ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

128. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- पूर्व में विचाराधीन उत्पाद की जांच में प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद का टायर की कुल लागत में बहुत कम हिस्सा है।
- टायर उत्पादकों की समग्र कच्चे माल की लागत, कुल लागत और बिक्री कीमत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा बहुत कम है। टायर उद्योग में शुल्क का प्रभाव 0.37% है।
- यदि टायर उद्योग के लिए कच्चे माल वाले सभी उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव पर विचार किया जाए, तो यह देखा जाएगा कि शुल्क का प्रभाव 0.7% है।
- संबद्ध देशों में उत्पादकों को भारतीय बाजार या उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाटनरोधी उपायों लगाना उपभोक्ताओं के हित में होगा।
- पाटनरोधी कानून का उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से माना गया, सराहा गया और बताया गया था।
- जब टायर के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले इनपुट पर पाटनरोधी उपाय थे, तो टायर उत्पादकों पर उपायों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।

- vii. एआईआरआईए के सदस्यों की भागीदारी की कमी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पिछले शुल्कों ने प्रयोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया था।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उत्पादों में कच्चे माल की लागत के हिस्से, मांग, शुल्क के प्रभाव या किए गए निर्यात के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- ix. मांग-आपूर्ति अंतर की गणना करते समय 1700 की मांग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- x. जब अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात को बाहर रखा जाता है, तो मांग-आपूर्ति अंतर काफी कम होता है।
- xi. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ नए निवेश को उचित नहीं ठहराते हैं। कम कीमत वाले आयात के लगातार प्रवाह ने भारत में क्षमता विस्तार में आगे निवेश को हतोत्साहित किया है।
- xii. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निम्नानुसार निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण		यूओएम
1	टायर उद्योग का अनुमानित कारोबार	क	***
2	एसबीआर उद्योग का अनुमानित कारोबार	ख	***
3	टायर उद्योग में एसबीआर का हिस्सा	ग = ख/क	***
4	कीमत में वृद्धि (मानी गई)	घ	***
5	टायर पर शुल्क का हिस्सा	ड. = घ x ग	0.37%

### ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

129. यह विचार किया जाता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश सार्वजनिक हित के खिलाफ होगी। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार करने के आधार पर किया जाता है।
130. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है।
131. प्रयोक्ता उद्योग के उत्तर से यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद टायर उद्योग के प्रचालन की लागत का ज्यादा हिस्सा नहीं बनाता है। घरेलू उद्योग और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों से पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम पाया गया है। स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर) पर 10% पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने का, जो टायर निर्माण में एक कच्चा माल है, टायरों की समग्र लागत संरचना पर केवल मामूली प्रभाव पड़ता है। जबकि एसबीआर की प्रति इकाई लागत पाटनरोधी शुल्क के बाद (रू.\*\*\*) से (रू.\*\*\*) तक बढ़ जाती है, टायर उत्पादन लागत में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर (रू.\*\*\*) से (रू.\*\*\*) हो जाती है। इसका मतलब टायर उत्पादन की कुल लागत में केवल 0.41 प्रतिशत की वृद्धि है।
132. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गैर-टायर क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता ने वर्तमान पाटनरोधी जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृत नहीं किया है।
133. प्रयोक्ता उद्योग द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उनके विभिन्न कच्चे माल पर कई व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए गए हैं, जिससे उनकी लागत प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि पिछले समय में लगाए गए विभिन्न व्यापार उपचारात्मक उपायों के साथ टायर उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है और दावा किया है कि व्यापार उपचारात्मक उपायों और टायर उद्योग के निष्पादन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है - या तो अलग अलग (कच्चे माल में से एक के लिए) या सामूहिक रूप से (व्यापार उपचार उपाय लगने वाली सभी कच्ची सामग्री के लिए)। चूंकि विचाराधीन उत्पाद टायर उद्योग और अन्य रबर कंपाउंड निर्माताओं के प्रचालनों का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है और चूंकि उन सभी उत्पादों (प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न कच्ची सामग्री) पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है, जिनके संबंध में या तो जांच चल रही है या उपाय लागू हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निचले स्तर के उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।

134. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है और भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। घरेलू उद्योग ने केवल देश में पाटन के उपाय की मांग की है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। देश में मांग-आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से समाधान मांगने से नहीं रोकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं हैं। असंबद्ध देशों से आयात हैं, जो होते रहेंगे। यह भी देखा गया है कि घरेलू बाजार निवेश उचित बाजार सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग पाटित आयातों तक पहुंच पर विचार करते हुए अपने प्रचालन की स्थापना करने का दावा नहीं कर सकता है।
135. पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा मिलता है। पाटनरोधी उपायों को लगाना संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने का तंत्र है।
136. यह स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों के लागू होने से अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लगाना पाटन परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकने का काम करता है। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों के लिए एक सुविधादाता है।
137. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है। आयात उचित कीमतों पर होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच एक समान व्यापारिक क्षेत्र बनाए रखा जाता है।

## ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

### ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध:

138. प्रकटन पश्चात अन्य संबंधित पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. नियोजित पूंजी पर 22% के निश्चित प्रतिलाभ का आवेदन अनुबंध III के तहत "उचित प्रतिलाभ" की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह गैर-हानिकारक मूल्य को बढ़ा देता है और एक पुराने मानक पर आधारित है जिस पर CESTAT के निर्णयों में सवाल उठाए गए हैं; इसलिए, प्राधिकरण को गैर-डंपिंग स्थितियों में वास्तविक लाभप्रदता के आधार पर प्रतिलाभ निर्धारित करना चाहिए।
- ख. प्राधिकरण ने ओ-सी-टी परीक्षण को गलत तरीके से लागू किया है, क्योंकि इसने केवल मासिक लागत तुलना पर विचार किया है, जबकि जांच अवधि की भारत और सत लागतों के मुकाबले कीमतों का आकलन करने की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ कर दिया है।
- ग. उचित लाभ मार्जिन की गणना के लिए, प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी बिक्री बाजार की स्थितियों को सटीक रूप से दर्शाती हैं।
- घ. कुम्हो की व्याज आय को बिना किसी औचित्य के उत्पादन लागत की गणना से हटा दिया गया है। प्राधिकरण को व्याज आय पर विचार करना चाहिए और सी-ओ-पी के निष्पक्ष और सटीक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए 'नेट आधार' दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- ङ. अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ (एआईआरआईए) ने भी कुम्हो के लिए पाटन मार्जिन निर्धारण पर की गई टिप्पणियों को अपनाया है।
- च. प्रकटीकरण विवरण टायर उद्योग पर इन उपायों के संयुक्त या संचयी प्रभाव की जांच नहीं करता है और अपने आकलन को वर्तमान शुल्क के सीमांत प्रभाव तक ही सीमित रखता है।
- छ. कुल उत्पादन में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाले सबसे बड़े घरेलू उत्पादक के आँकड़े पर विचार किए बिना, 'भौतिक क्षति' का प्रतिनिधि आकलन संभव नहीं है।

- ज. प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण में यह टिप्पणी की है कि "किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि आई-एस-पी-आर-एल को कोई भौतिक क्षति नहीं हो रही है"। यह एक अत्यधिक और अनुचित आवश्यकता थोपता है।
- झ. प्रकटन विवरण में उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा आई-एस-पी-आर-एल के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों को दर्ज या जांचा नहीं गया है।
- ञ. कच्चे माल की कीमतों और घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन के बीच के सहसंबंध की जांच करना आवश्यक है।
- ट. पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए केवल भारित औसत आंकड़े पर निर्भर रहना, बिना कीमतों के संबंधों में मासिक या तिमाही आधार पर होने वाले अस्थायी बदलावों की जांच किए, भ्रामक निष्कर्षों की ओर ले जा सकता है।
- ठ. डम्पिंग रोधी लगाने के प्रभाव को उन सभी उत्पादों पर विचार करते हुए देखा जाना आवश्यक है जिन पर शुल्क लागू हैं।
- ड. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियाँ प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिया गया समय अपर्याप्त है।

## ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध:

139. प्रकटीकरण के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन और आयात की मात्रा तथा कीमत को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकाले कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा भी है।
- ख. सभी प्रमुख कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क का संचयी प्रभाव बहुत कम, यानी 0.7% है। अंतिम टायर की कीमतों पर इसका प्रभाव नगण्य है, भले ही लागत अंतिम उपभोक्ता पर डाल दी जाए।
- ग. डंप किए गए आयातों से हुई भारी क्षति से उबरने और बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। शुल्क की कम अवधि डंपिंग के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए अपर्याप्त होगी और इससे डंपिंग के जारी रहने या दोबारा होने का जोखिम बना रहेगा।
- घ. उत्पाद की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण पाटन रोधी शुल्क के निश्चित रूप की सिफारिश की जा सकती है।
- ङ. वर्तमान परिदृश्य में एड-वैलोरम (मूल्य-आधारित) शुल्क उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- च. घरेलू उद्योग का तर्क है कि इस मामले में, जिन महीनों में सामान्य मूल्य की गणना 'लागत-जमा-लाभ मार्जिन' के आधार पर की गई है, वहाँ लाभ मार्जिन केवल लाभदायक बिक्री पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि पी-यू-सी एक पूंजी-प्रधान उत्पाद है। यदि प्राधिकरण ने निर्मित सामान्य मूल्य की गणना में 5% लाभ मार्जिन पर विचार किया है—जो कि प्राधिकरण की एक सुसंगत प्रथा रही है—तो इस मामले में इतना कम लाभ मार्जिन उचित नहीं है।
- छ. प्राधिकरण ने कम लाभदायक लेन-देन के कारण कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है। लाभ मार्जिन केवल लाभदायक बिक्री पर आधारित होना चाहिए। एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार, लाभ सामान्य व्यापार प्रक्रिया के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए; इसका तात्पर्य यह है कि हानि वाले लेन-देनों को लाभ की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ज. ग्लास फाइबर के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच के मामले में, लाभ मार्जिन का निर्धारण लाभदायक घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया था।
- झ. डब्ल्यू-टी-ओ की अपीलीय संस्था ने ईसी – ट्यूब या पाइप फिटिंग्स प्रकरण में सामान्य व्यापार से प्राप्त वास्तविक लाभ के उपयोग को अनिवार्य किया है।
- ञ. डब्ल्यू-टी-ओ के पैनल ने मोरक्को – एक्सरसाइज बुक्स मामले में भी इस बात की पुष्टि की है कि लाभ मार्जिन वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, और वैकल्पिक तरीकों का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वास्तविक आंकड़े उपलब्ध न हों।
- ट. ई-यू की कार्यप्रणाली लाभ मार्जिन की गणना करते समय गैर-सामान्य (घाटा देने वाली) बिक्री को बाहर रखने को भी मान्यता देती है।

**ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:**

140. प्राधिकारी ने संबंधित पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुति की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से ज्यादातर प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और बातों को दोहराते हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्ष के संबंधित पैराग्राफ में ज़रूरत के हिसाब से उन्हें संबोधित किया जा चुका है। संबंधित पक्षों और घरेलू इंडस्ट्री द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियाँ / प्रस्तुतियाँ में पहली बार उठाए गए और माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। ऐसी कोई भी प्रस्तुति जो मात्र पूर्व प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हो, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा ठीक से जांच की गई थी, उसे छोटा बताने के लिए दोहराया नहीं गया है।
141. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि एंटी-डम्पिंग जांच समयबद्ध प्रकृति की होती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियाँ/प्रस्तुतियाँ दाखिल करने हेतु समय विस्तार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह दावा कि प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों को प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियाँ/प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया, निराधार एवं अस्वीकार्य है।
142. इच्छुक पक्षों की इस टिप्पणी के संबंध में कि गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकरण ने बिना कारण बताए तथा घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पूंजी पर प्रतिलाभ की ऐतिहासिक दर का खुलासा किए बिना, नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को अपनाया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण की निरंतर प्रथा नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को मानना रही है। वर्तमान जांच में इच्छुक पक्षों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/प्रस्तुति प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ अनुचित है।
143. प्राधिकरण ने कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा ब्याज आय और व्यय के समायोजन (नेटिंग) संबंधी तर्कों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि ब्याज व्यय/लागत उत्पादन लागत का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वे संचालन के वित्तपोषण से संबंधित हैं, जबकि ब्याज आय गैर-संचालन गतिविधियों, कोष प्रबंधन या निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होती है, अतः इसे लागत के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता। प्राधिकरण ने पूर्व में KPC से संबंधित तथा अन्य जाँचों में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है।
144. इसी प्रकार, प्राधिकरण ने KPC के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें घरेलू बिक्री की लाभप्रदता का आकलन पूरे जाँच अवधि के भारत-औसत लागत के आधार पर करने की बात कही गई थी। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर किया गया ताकि उतार-चढ़ाव को परिलक्षित किया जा सके, अतः बिक्री का परीक्षण मासिक उत्पादन लागत के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। लाभकारी बिक्री की कम मात्रा के मुद्दे पर, प्राधिकरण ने बताया कि जब किसी माह की कुल बिक्री का 80% से कम हिस्सा लाभकारी होता है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी लेन-देन के आधार पर किया जाता है। तथापि, जिन महीनों में लाभकारी बिक्री असामान्य रूप से कम और प्रतिनिधिक नहीं होती है, उन मामलों में सामान्य मूल्य का निर्माण उत्पादन लागत के साथ SG&A तथा लाभ के लिए उचित जोड़ कर किया जाता है।
145. हितबद्ध पक्षों की इस टिप्पणी पर कि कुछ महीनों में मूल्य कटौती ऋणात्मक है और इसलिए औसत विश्लेषण उचित नहीं है, यह देखा गया है कि कुछ महीनों में कुछ संबंधित देशों के लिए मूल्य कटौती धनात्मक है और दूसरों के लिए ऋणात्मक है। समग्र आधार पर मूल्य कटौती धनात्मक है। यह उतार-चढ़ाव भारतीय बाजार में कार्यरत सभी आपूर्तिकर्ताओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मूल्य कटौती की मात्रा यह भी स्थापित करती है कि सभी आपूर्तिकर्ता मूल्यों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
146. हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत इस टिप्पणी पर कि आईएसआरपीएल के आंकड़ों की जांच की जानी आवश्यक है, इस मुद्दे को प्रकटीकरण विवरण में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। परिभाषित घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग एम/एस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जो नियम 2(b) की आवश्यकता को पूरा करता है।
147. संबंधित पक्षों की इस टिप्पणी पर कि उपयोगकर्ता उद्योग के विभिन्न कच्चे माल के संबंध में कई व्यापारिक उपचार जांचें चल रही हैं और इन सभी कच्चे मालों का संचयी प्रभाव काफी होगा, यह देखा गया है कि यद्यपि उपयोगकर्ताओं ने जांच के दौरान अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, लेकिन संचयी प्रभाव के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने TDQ, Sulf. Acc, PX-13, SBR, Insoluble Sulphur और IIR पर प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क के संचयी प्रभाव की जानकारी प्रदान की है। यह देखा गया है कि उन सभी उत्पादों पर जिन पर या तो जांच जारी है या उपाय लागू हैं, शुल्क का प्रभाव 1% से कम है।

**ठ. निष्कर्ष**

148. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज किया गया है, और पाटन, क्षति

और घरेलू उद्योग से कारणात्मक संपर्क के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र रोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 श्रृंखला का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर है।
- ख. संबद्ध सामान कोड 4002 19 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची- के तहत 10% मूल सीमा शुल्क लगता है और विचाराधीन उत्पाद के आयात भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार (आईएसीईसीए), भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार और जापान-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के तहत रियायत लेते हैं।
- घ. पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एक श्रृंखला है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "वस्तु समान" हैं।
- च. यह आवेदन-पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।
- छ. आवेदक का उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है।
- ज. अन्य भारतीय उत्पादक के समर्थन से, दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन का हिस्सा है।
- झ. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

#### ब. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

- i. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन, साथ ही असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर, नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर हैं।
- ii. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी), कोरिया और बीएसटी इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड द्वारा दायर उत्तर के आधार पर, यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- iii. यूरोपीय संघ, जापान और रूस से आयात के संबंध में पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और यह सकारात्मक पाया गया है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी है।

#### ट. क्षति और क्षति का खतरा

- i. संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- ii. आयात कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत के विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है। जांच की अवधि के दौरान, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।
- iii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- iv. क्षति की अवधि में नकद लाभ में 51% की गिरावट आई है।
- v. घरेलू उद्योग को क्षति होने का खतरा है जो पाटित आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमताओं, संभावित रूप से आयात के हास/न्यूनीकरण प्रभाव और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपायों से सिद्ध है।

#### ठ. भारतीय उद्योग का हित

- i. प्रयोक्ता उद्योग के उत्तर से यह पता चला है कि विचाराधीन उत्पाद टायर उद्योग के प्रचालन की लागत का अधिक हिस्सा नहीं बनाता है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।

- ii. व्यापार उपचारात्मक उपायों और टायर उद्योग के प्रदर्शन के बीच कोई संबंध नहीं है।
- iii. देश में मांग-आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण मांग करने से नहीं रोकता है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं।
- iv. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता है, प्रयोक्ता और सार्वजनिक हित को संतुलित करते हुए उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। यह पाया गया है कि निचले स्तर के उद्योग और अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अधिक नहीं होगा।

#### ड. सिफारिश

149. पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना, पाटन को समाप्त करने और परिणामी क्षति को दूर करने तथा क्षति के खतरे को समाप्त करने के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्याति संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
150. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख पांच (5) पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

#### शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4002 19	1500 शृंखला का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (ई-एसबीआर)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	कोई उत्पादक	213	एमटी	डॉ.
2	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, थाईलैंड और रूस को छोड़कर कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई उत्पादक	213	एमटी	डॉ.
3	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	कोई उत्पादक	272	एमटी	डॉ.
4	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, थाईलैंड और रूस को छोड़कर कोई देश	जापान	कोई उत्पादक	272	एमटी	डॉ.

5	-वही-	-वही-	कोरिया	कोरिया सहित कोई देश	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (केपीसी)	51	एमटी	डॉ.
6	-वही-	-वही-	कोरिया	कोरिया सहित कोई देश	क्र.सं. 5 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	134	एमटी	डॉ.
7	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, थाईलैंड और रूस को छोड़कर कोई देश	कोरिया	कोई	134	एमटी	डॉ.
8	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई	319	एमटी	डॉ.
9	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, थाईलैंड और रूस को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई	319	एमटी	डॉ.
10	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	बीएसटी इलास्टोमर्स कं. लिमिटेड, थाईलैंड	109	एमटी	डॉ.
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई देश	क्र.सं. 10 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	195	एमटी	डॉ.
12	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, थाईलैंड और रूस को छोड़कर कोई देश	थाईलैंड	कोई	195	एमटी	डॉ.

\* उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग अलग शुल्क दरों को लागू करना वैध वाणिज्यिक बीजक का सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा। जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित घोषणा होगी, जिसकी पहचान उसके नाम और कार्य से की जाएगी, जो इस प्रकार तैयार की गई है: 'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूँ कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (उत्पाद संबंधित) की मात्रा (कंपनी का नाम और पता) द्वारा संबद्ध देश में निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।' यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू शुल्क लागू होंगे। यह शर्त, लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

\*\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

151. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9 और 9क के तहत शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

**ढ. आगे की प्रक्रिया**

152. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाक-कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 20th March, 2026

**Case No. AD (OI)-07/2025**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series from the European Union, Japan, Republic of Korea (“Korea RP”), Russian Federation (“Russia”) and the Kingdom of Thailand (“Thailand”)**

**F. No. 6/07/2025-DGTR** —Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof;

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as ‘Authority’) received an application filed by Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), from the European Union, Japan, Republic of Korea (“Korea RP”), Russian Federation (“Russia”) and the Kingdom of Thailand (“Thailand”) (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/07/2025-DGTR dated 29th March 2025, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:

**3.1 Initiation**

- i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified governments of the subject countries through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- ii. As noted above, upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rule 5 of the Rules, the Authority vide Notification F. No. 06/07/2025 – DGTR dated 29th March 2025 (‘Initiation Notification’) initiated the present proceedings.

**3.2 Circulation of non-confidential version of the application**

- i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject country, through their embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

**3.3 Period of Investigation and Injury Investigation Period**

- i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 01st October 2023 - 30th September 2024. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.
- ii. A request was made to the DG system to procure the transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and the same has been relied upon for the necessary analysis.

**3.4 Participation by Exporters from subject countries.**

- i. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- ii. In accordance with Rule 6(4), the Authority issued questionnaires to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation.

S.N.	Names of producers/exporters in the subject countries
1	Ravago Distribution Center NV, European Union.
2	Synthos, European Union.
3	Versalis Singapore PTE Ltd, European Union.
4	Katyon Technologies Limited, European Union.
5	JTC Corporation, Japan
6	Itochu Corporation, Japan
7	Zeon Asia PTE Ltd, Japan.
8	Kumho Petrochemical Co. Ltd, Korea
9	LG Chem Ltd., Korea
10	Wonchem, Ltd. Korea
11	Hansuk Chemicals Co Ltd, Korea
12	Everlite Korea Co Ltd, Korea
13	Heartychem Corp, Korea
14	Kartli Turkey Plastik Kimya Ticaret, Russia
15	Omsky Kauchuk, Russia
16	Nizhnekamskneftekhim (NKNK), Russia
17	Bangkok Synthetics Co. Ltd, Thailand
18	JSR BST Elastomer Co. Ltd. Thailand

- iii. The Authority sent questionnaires to the governments of the subject countries through their embassies in India. The governments of the subject countries were requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their respective countries and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iv. In response to the above, the following producers/exporters from the subject countries have responded and filed the exporter's questionnaire response:

S.N.	Name of producers/exporters in the subject country
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea
2	Posco International Corporation, Korea (exporter for Kumho)

3	Posco International Italia S.R.L, Europe (exporter for Kumho)
4	Sterlitamak Petrochemical Plant JSC, Russia
5	BST Elastomers Co. Ltd, Thailand
6	EXPOL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Turkey
7	BONEX – FZCO, Russia.

### 3.5 Participation by Importers/Users

- i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority also sent a questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information:

S.N.	Names of users/importers in India
1	Agarwal Rubber (ARL Tyres)
2	Apollo Tyres Limited
3	ATC Tires Private Limited
4	Balakrishna Industries Limited
5	Birla Tyre
6	CEAT Limited
7	Exel Rubber Limited
8	Forech India Limited
9	Garware Fulflex India Private Limited
10	Goodyear India Limited
11	Hindustan Rubber Industries
12	JK Tyre & Industries Limited
13	Metro Tyres Limited
14	Midas Rubber (P) Limited
15	MRF Limited
16	Oriental Rubber Industries
17	Paragon Polymer Product Private Limited
18	Phoenix Conveyor Belt India Private Limited
19	Poddar Tyres Limited
20	Ralson (India) Limited
21	Sempertrans India Private Limited
22	Tega Industries Limited

- ii. In response to the above notification, the following importers and users have registered in the present investigation and have made submissions:

S.N.	Names of users/importers in India
1	Apollo Tyres Limited
2	CEAT Limited
3	JK Tyres & Industries Limited
4	JMF Performance Materials Pvt Ltd
5	MRF Limited

6	Rishiroop Limited
7	Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.

- iii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of each subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the domestic industry, Kumho Petrochemical Co Ltd, Posco International Italy S.R.L, Posco International Corporation, Apollo Tyres Ltd, CEAT Limited, JK Tyres & Industries Limited and MRF Limited.
- iv. Submission has also been made by the Automotive Tyres Manufacturer's Association (ATMA) and All India Rubber Industries Association (AIRIA) these have been considered in the present final findings.

### 3.6 Further Procedure

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings to all other interested parties.
- ii. The interested parties were granted an opportunity to present comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if required, within 15 days from the date of the initiation. Apart from the domestic industry, no comments were made by any other interested parties regarding the scope of the PUC or proposal for PCNs. Based on submissions, the Authority clarified and notified the PCN on 23<sup>rd</sup> April 2025.
- iii. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 20th August 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- iv. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 23<sup>rd</sup> December 2025, wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- v. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- vi. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.
- vii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- viii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.
- ix. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making these final findings.
- x. \*\*\* represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xi. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1\$ = Rs 84.27.

**C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE.**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

*“3. The product under consideration is Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series, abbreviated as ESBR – 1500.*

C.1 Submissions made by interested parties.

5. The interested parties have not made any submissions with respect to the product under consideration or like article.

**C.2 Submissions made by the domestic industry.**

6. The domestic industry has made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:

i. The application has been filed for Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series, abbreviated as ESBR-1500.

ii. The product produced by the domestic industry and the imports from the subject countries are comparable in all technical and commercial aspects and are used interchangeably by consumers.

iii. There is no justification for considering PCN in the present investigation since the scope of the product under consideration contains only one series.

**C.3 Examination by the Authority**

7. The Authority provided an opportunity to all the interested parties to submit their comments, if any, with respect to the scope of the product under consideration or the need for PCNs within 15 days from the circulation of the intimation of the initiation of the investigation. None of the interested parties furnished any comments, either regarding the scope of the product under consideration or the requirement for PCNs. Accordingly, vide notice dated 23<sup>rd</sup> April 2025, for the purpose of filing response, it was clarified that the scope of the product was the same as defined in the initiation and that there was no requirement of PCN.

8. Subsequent to the notice, none of the interested parties filed comments on the scope of the product under consideration.

9. Therefore, the scope of the product under consideration is concluded as below: -

*“The product under consideration is Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series, abbreviated as ESBR – 1500.*

**a. About the product under consideration.**

10. The product under consideration is Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series, abbreviated as ESBR-1500. In comparison to natural rubber, ESBR has better process ability, homogeneity, heat aging and abrasion resistance. However, it is inferior in terms of elongation, hot tear strength, hysteresis, reliance and tensile strength.

11. A number of grades of SBR are produced, which are characterized by the level of copolymer (% of styrene), emulsifier type, nominal molecular viscosity, coagulation, specific gravity and product stain. They are segregated into series 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 and 1900. The present investigation is for the ESBR 1500 series only.

12. The subject goods are mainly used to manufacture tyres since it has good abrasion resistance and good ageing stability when protected by additives. It is also used in conveyor belts, shoe soles, v-belts, moulded rubber goods, etc.

13. Compared to natural rubber, SBR has better processability, homogeneity, heat ageing, and abrasion resistance, but is inferior in terms of elongation, hot tear strength, hysteresis, resilience and tensile strength. The major demand of SBR is in the automotive sector for the manufacture of tyres. These materials have good abrasion resistance and good ageing stability when protected by additives.

**b. Manufacturing process of the product under consideration**

14. The major raw materials used in the production of SBR are Styrene and Butadiene, Other raw materials include Water, Emulsifier Dodecyl mercaptan, Cumene hydroperoxide, FeSo<sub>4</sub>, EDTA, Na<sub>4</sub>P<sub>7</sub>10H<sub>2</sub>O, Potassium persulfate, SFS and Stabilizer.

15. A typical recipe includes monomers (styrene and butadiene), water, emulsifier, initiator system, modifier, shortstop and a stabiliser system. The original polymerisation reactions are charged in batch reactors in which all the ingredients are loaded into the reactor, and the reactions are short stopped after it reaches the desired conversion. Current commercial productions are made to run continuously by feeding reactants and polymerizing through a chain of reactors short stopping at the desired monomer conversion.

**c. Customs classification for the product under consideration**

16. The product under consideration is classified under the Chapter 40 - Rubber and Articles Thereof heading 4002 19 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
17. The product under consideration attracts a basic customs duty of 10% under Schedule I of the Customs Tariff Act. The imports of the product under consideration enjoy a concession under the following Free Trade Agreement and are subject to nil duty.
- i. India-ASEAN Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IACECA).
  - ii. India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement
  - iii. Japan-India Comprehensive Economic Partnership Agreement
18. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.

**d. Like article produced by the domestic industry.**

19. None of the interested parties have made any submissions on the like article. The product under consideration, produced by the domestic industry and imported from the subject country, is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers can use them interchangeably.
20. It is concluded that the goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration imported from the subject countries.

**D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

**D.1 Submissions made by other interested parties**

21. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. Reliance Industries Limited and PJSC Sibur Holding are related, and therefore, the applicant does not satisfy the requirement of Rule 2(b).
  - ii. Indian Synthetic Rubber Private Limited participated in the previous investigations of subject goods but is absent from the present investigation.
  - iii. ISRPL's support letter has not been shared, and the absence of a support letter and accompanying data constitutes a material deficiency in the standing of the petition.
  - iv. ISRPL should submit its operational and financial data in the prescribed formats, as mandated by the Trade Notices No. 13/2018 and 14/2018.
  - v. In the anti-dumping investigation concerning imports of seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel from China PR, the Authority did not recommend continuation of anti-dumping duty when the major producer in India did not participate in the investigation and only acted as a supporter.
  - vi. ISRPL has more than 50% share in total domestic production. No assessment of material injury to the domestic industry can be made if the biggest producer in India is not participating in the investigation.

**D.2 Submissions made by the Applicant.**

22. The Applicant has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:
- i. There are only two producers of the subject goods in India - Reliance Industries Limited and Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL).

- ii. The production of the Applicant accounts for a major proportion of the domestic production of the like article in India, that is, accounting for more than 25% in the total Indian production.
- iii. ISRPL has supported the application and provided the support letter.
- iv. With the inclusion of the supporter, the Applicant and the ISRPL account for the entire production in India.
- v. There is no relationship or joint venture between Reliance Industries Limited and PJSC SIBUR Holding. The relationship is with SIBUR Investments AG, which is neither located in the subject countries nor a producer of the product under consideration.
- vi. Reliance Industries Limited does not recognise PJSC Sibur Holding as a related entity in its books and accounts.
- vii. RIL and Sibur are not related within the meaning of Rule 2(b).
- viii. In the anti-dumping investigation concerning imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR), Reliance Sibur Elastomers Private Limited had filed an application where the subject country included Russia and SIBUR Holding had a stake in PJSC Nizhnekamskneftekhim, a producer of the product under consideration in Russia. In that investigation, the Authority considered Reliance Sibur Elastomers Private Limited as an eligible producer in terms of Rule 2(b). When Reliance Sibur Elastomers Private Limited was considered as an eligible producer, there is no reason not to consider Reliance Industries Limited as an eligible producer under Rule 2(b).
- ix. Applicant has neither imported the product from the subject countries nor is it related to any producers/exporters from the subject countries or an importer in India.

### D.3 Examination by the Authority

23. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as follows:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be constructed as referring to the rest of the producers.”*

24. The application has been filed by Reliance Industries Limited and is supported by Indian Synthetic Rubber Private Limited. The table below shows the production of the applicant and the other domestic producer.

S.N.	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Reliance Industries Limited	MT	***	***	***	***
2	Indian Synthetic Rubber Private Limited	MT	***	***	***	***
3	<b>Total</b>	<b>MT</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Share in production-%</b>						
I	Reliance Industries Limited	%	***	***	***	***
2	Indian Synthetic Rubber Private Limited	%	***	***	***	***

25. Indian Synthetic Rubber Private Limited (ISRPL) has supported imposition of the duty. A copy of the support letter from ISRPL was also shared by the domestic industry with the other interested parties.
26. Interested parties have claimed that the applicant does not satisfy the requirement of domestic industry in terms of Rule 2(b) as the producer is related to PJSC SIBUR Holding, a producer of the product under consideration in Russia. The applicant has, however, disputed the relationship and submitted that the relationship is with SIBUR Investments AG, which is neither located in the subject countries nor the producer of the product under consideration. The applicant has denied a relationship or existence of control over PJSC SIBUR Holding, whether directly or indirectly or through a third person.
27. The Authority has examined the import data from Russia for the injury period. It is noted that during this period, there are no exports of subject goods from PJSC SIBUR Holding from Russia. Rule 2(b) prescribes that the domestic industry should not be related to the exporters or importers of the subject goods or themselves import

the subject goods. In the present case, the alleged related entity has not exported the subject goods in India. In view of the foregoing, the applicant is treated as a domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

28. The other interested parties have claimed that the major producer, Indian Synthetic Rubber Private Limited, has not participated in the present investigation. These interested parties have drawn reference to the anti-dumping investigation concerning imports of seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel from China PR and submitted that in the past, the Authority has not recommended the duty in cases where a major producer only acted as a supporter. It is seen that the facts of the present investigation are different from the facts of the case relied upon by the other interested parties. In the anti-dumping investigation concerning imports of seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel from China PR, the Authority found that M/s Maharashtra Seamless Ltd, the major producer of the subject goods in the country and supporter of the subject application had provided some limited and partial information including costing data. The Authority found that analysis of limited and partial data submitted by M/s Maharashtra Seamless Ltd did not show any injury from the alleged dumped imports of the subject goods from the subject country. In the present case, no evidence has been made available by any interested party that ISRPL is not suffering injury. The financial results of ISRPL are not limited to product under consideration alone, and includes other major product.
29. In the present case, the production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. With the support of the other Indian producer, the share of the two companies accounts for the total Indian production.
30. The applicant stated that it has not imported the subject goods from the subject countries. DG System transaction-wise data has been examined. It is seen that the applicant has not imported the product under consideration. None of the interested parties have disputed the claim of the applicant in this regard.
31. Having regard to information and evidence on record, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### **E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS.**

##### **E.1 Submissions made by other interested parties.**

32. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
  - i. The domestic industry has failed to meet the requirements under the Trade Notice 10/2018.
  - ii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality in the manufacturing process and figures related to R&D Expenses, Funds Raised, and Cost of Sales- Export.
  - iii. The domestic industry has also claimed production process and raw materials as confidential in the application.
  - iv. On the comments filed by the domestic industry that JMF Performance Materials Pvt. Ltd has claimed excessive confidentiality; the respondent is an importer of the subject goods, not a producer or exporter. The obligations related to disclosure of production processes, related parties involved in production, and raw material sourcing, are not applicable to the importer.
  - v. The domestic industry has not brought about any substantive evidence to prove the condition for initiation of the investigation, while the investigating authority has not carried out appropriate and enough scrutiny of the related facts.
  - vi. Import data sourced from secondary sources is unreliable and not authentic.
  - vii. The domestic industry has enjoyed prolonged and repeated protection from import competition for more than two decades.
  - viii. The Ministry of Finance rejected imposition of duties on product under consideration in past.

##### **E.2 Submissions made by the domestic industry**

33. The domestic industry has made the following with regard to confidentiality:
  - i. The list of adjustments claimed in the normal value and export price calculation has been marked as confidential.

- ii. Answers to certain questions have been claimed to be completely confidential, including a list of products produced, related parties involved in the production and sale of the product under consideration, financial accounting system and channel of distribution, without a non-confidential summary or reasoning.
- iii. The applicant had submitted the share of the domestic industry and other Indian producers in the total Indian production in the range and thereafter provided the details in trend.
- iv. The non-confidential version demanded by the party concerns information that is not even part of the confidential version of the application.
- v. On the submission that the import data submitted by the domestic industry is unreliable, DGTR routinely calls information from DG Systems or DGCI&S and adopts the same for determination.
- vi. On the submission that the domestic industry is a habitual user of trade remedial measures, other interested parties have highlighted 6 instances to show that the domestic industry is a habitual user, and during 3 investigations, the domestic industry was not even producing the product under consideration.
- vii. There is no restriction on the number of times the domestic industry can seek redressal against unfair imports
- viii. On the submission that measures were not imposed in the previous investigation on the imports of the product under consideration, the fact that recommendations of the Authority to continue and impose measures were not accepted by the Ministry of Finance does not conclude that the domestic industry did not require further protection in the form of anti-dumping duties.

### E.3 Examination by the Authority

34. The Authority made available a non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per the Rules.

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

35. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on various information, such as, production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for the injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range.
36. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary.
37. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in various investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related

sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

38. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry is a habitual user, the Authority considers that the recommendations for imposition of anti-dumping duty are made only after investigation and when the requisite legal requirements are met. There is no bar under the law on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters. In an anti-dumping investigation, the primary mandate is to assess whether remedial measures are required in light of dumped imports and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be imposed for a period as long as necessary to counteract dumping and injury.
39. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry has relied on unreliable import data, it is clarified that the Authority has relied on the transaction wise customs data for the purpose of initiation of the investigation and present determination. The interested parties have also not established any material difference in the volume and price of imports reported in the application. Further, the Authority did not find material difference in the volume and price of imports reported in the application and quantified by the Authority at the stage of initiation.
40. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry has not brought any substantive evidence to justify initiation of the present investigation and the Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, it is considered that the domestic industry had provided sufficient information to justify initiation and the investigation was initiated by the Authority after satisfying that there was sufficient prima-facie evidence to justify initiation. In fact, the investigation has established that the dumping margin in respect of each of the responding exporters and each of the subject countries is more than de-minimus.

#### **F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

##### **F. 1 Submissions made by other interested parties.**

41. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
- i. The Authority should determine the dumping and injury margin on monthly basis.
  - ii. KPC has always cooperated with the Authority to the fullest extent in all previous investigations. Cost and sales data submitted by KPC, subject to certain adjustments, have been accepted by the Authority and margins determined based on its data. This shows that KPC's data is reliable.
  - iii. If financial expenses (e.g., interest on borrowings) are included in SG&A and thus in the cost of production, then financial income, interest income from short-term operational funds, must also be deducted to ensure symmetry and fairness. Failing to deduct such income results in an asymmetrical treatment, artificially inflating cost of production and distorting the dumping margin
  - iv. KPC purchased butadiene from unrelated third-party suppliers at market prices.
  - v. Kumho is the sole E-SBR producer in Korea RP and its dependence on exports has significantly decreased compared to the past.
  - vi. All butadiene used for the production of the product under consideration is sourced from unrelated third-party suppliers,
  - vii. A small quantity of total Butadiene is derived from reprocessed butadiene (R-BD), which is recovered as a by-product from the production process at the Ulsan Synthetic Rubber Plant.
  - viii. The valuation of butadiene in Kumho's cost of production reflects actual purchase prices and reasonable reprocessing costs
  - ix. The utility rates paid by Kumho to Hanju are identical to those paid by unrelated parties and reflect the standard tariff system applied uniformly to all users.
  - x. Kumho has provided full details, supporting documents, and valuation linkages to demonstrate that both purchased steam and captive steam from by-products have been correctly valued and included in the cost of production.
  - xi. With regard to the submission that financial income cannot be adjusted from cost of production, Kumho respectfully submits that failing to deduct such income results in an asymmetrical treatment, artificially

inflating cost of production and distorting the dumping margin. This approach is supported by international accounting standards (e.g., IFRS), which permit netting of financial income and expenses, and by the practice of major investigating authorities such as USDOC, which have recognized the deduction of short-term interest income when properly substantiated.

- xii. Difference in purchase price of raw material of domestic industry with actual purchase price of raw material of Kumho does not mean that purchase price of raw material is unreliable.

## F.2 Submissions made by the domestic industry.

42. The domestic industry has made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:

- i. The normal value for European Union is based on the prices prevailing in the domestic market and can be determined based on cost of production in European Union.
- ii. The domestic industry was unable to get information on the prevailing prices or the export/imports prices of the product under consideration into the subject countries since the product does not have a dedicated code.
- iii. The applicant has determined the normal value based on cost of production in the exporting countries, based on the available information
- iv. There is no consistent pattern on increase and reduction in price even within a quarter. It would not be appropriate to undertake quarterly or annual weighted average analysis for the period of investigation.
- v. The Authority should compare the reported butadiene consumption price and consumption factor of the other participating producers and the domestic industry with the average butadiene consumption price and consumption factor recorded by KPC.
- vi. The Authority should undertake a comparative analysis of the power consumption factor for KPC's operations against those of the domestic industry and other participating producers since it produces power from wholly owned company.
- vii. Since the production process of the domestic industry and foreign producers is comparable, the Authority should make comparison of costs.
- viii. If KPC has reported negative interest income as a cost adjustment, the Authority should disregard it since interest income from non-product under consideration related operations cannot be adjusted from the cost of production of the product under consideration.
- ix. The Authority should examine the valuation method and the appropriateness of the internal transfer prices at which steam is allocated to the production process of subject goods by KPC since it is generating the same as a by-product from other products.

## F.3 Examination by the Authority.

43. Section 9A(1)(c) defines normal value in relation to an article as:

*(c) "normal value", in relation to an article, means -*

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when [destined for consumption] in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or [territory to] an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6) :*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not*

*produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

44. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters:
- i. Kumho Petrochemical Co., Ltd
  - ii. Posco International Corporation
  - iii. Posco International Italia S.R.L
  - iv. Sterlitamak Petrochemical Plant JSC, Russia
  - v. BST Elastomers Co. Ltd, Thailand
  - vi. Expol Dış Ticaret Limited Şirketi, Turkey
  - vii. Bonex – FZCO, Russia.
45. The interested parties have argued that the dumping margin and injury margin should be calculated based on monthly basis.

### **F.3.1 Normal value and net export price for the European Union**

46. None of the producers/exporters from the European Union has participated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value is determined on the basis of the best estimates of the cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with addition of reasonable profit margin.
47. Export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, the information provided in the DG system data has been considered. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port-related expenses, insurance, credit cost and packing expenses on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

### **F.3.2 Normal value and net export price for Japan**

48. None of the producers/exporters from the Japan has participated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value is determined on the basis of the best estimates of the cost of production of the subject goods duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with addition of reasonable profit margin.
49. Export price has been determined on the basis of facts available. For this purpose, the information provided in the DG system data has been considered. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port-related expenses, insurance, credit cost and packing expenses on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

### **F.3.3 Normal value and net export price for Korea RP**

#### **a. Kumho Petrochemicals Co Ltd (KPC)**

50. Kumho Petrochemicals Co Ltd (KPC) has filed a response as the producer of the product under consideration in Korea. The producer has exported the product directly and through Posco International Corporation, Posco International Italia S.R.L and Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd . Posco International Corporation and Posco International Italia S.R.L have filed complete response. No response has however been filed by Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd
51. During the period of investigation, the producer has sold \*\*\*MT of the subject goods in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.
52. The Authority conducted a verification at the premises of the producer and exporter M/s KPC. The verification report was forwarded to the exporter/producer and no comments were received on it. The present determination is on the basis of information provided by the exporter, information verified by the authority and facts available to the extent the questionnaire response is deficient. Further, the authority has determined cost of production of the exporter on the basis of information and evidence provided by the exporter. Cost of production has been determined by the authority based on the records maintained by the producer/exporter in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles duly adjusted with the non-operating income or cost.

53. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value. In case the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. The ordinary course of trade test has been carried out on monthly basis as per the request of the domestic industry and other interested parties. Where profitable transactions in terms of volume is abnormally low in the particular month, normal value for that month has been determined on the basis of the cost of production, along with SGA and profit margin. The producer has claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same has been allowed. Accordingly, the normal value at ex-factory level for the producer has been determined, and the same is shown in the dumping margin table below.
54. The producer has reported \*\*\*MT of exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product to India directly as well as through its traders, namely POSCO International, POSCO Italy, and Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd. POSCO International, POSCO Italy have participated in the investigation but Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd has not cooperated with the Authority, therefore, the export price for the exports made through Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte. Ltd has been determined on the basis of facts available. The claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses, and credit cost has been allowed, after due verification.

**b. Other producers and exporters from Korea RP**

55. No other producers/exporters from Korea RP have cooperated in the present investigation. In view of the same, the normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters from Korea have been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. The dumping margin so determined is mentioned in the dumping margin table below.

**F.3.4 Normal value and net export price for Russia**

**a. Sterlitamak Petrochemical Plant JSC, Russia**

56. Sterlitamak Petrochemical Plant JSC, Russia, has filed a response as the producer of the product under consideration in Russia. During the period of investigation, the producer has sold \*\*\*MT of the subject goods in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.
57. The producer has reported \*\*\*MT of value as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported 100% subject goods to India through a trader namely KARTLI TURKEY PLASTIK KİMYA TİC.LTD.ŞTİ. who has participated and submitted its response. The response was examined and it was seen that the trader has not filed complete questionnaire response. Hence, a deficiency letter was issued to the trader stating the deficiencies and it was also stated that in case of non-submission of reply authority will rely on the available facts, outcome of which may be less favorable to the exporter/producer. However, the said trader has not submitted any reply to the deficiencies raised. It is therefore considered that the producer has not co-operated to the best of its ability. Therefore, the Authority has not calculated individual dumping margin for the producer.

**c. Other producers and exporters from Russia**

58. It is noted that no other producers/exporters from Russia have cooperated in the present sunset review. In view of the same, the normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Russia have been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. The net export price so arrived is mentioned in the dumping margin table.

**F.3.5 Normal value and net export price for Thailand**

**a. BST Elastomers Co. Ltd, Thailand**

59. BST Elastomers Co. Ltd, Thailand, has filed a response as the producer of the product under consideration in Thailand. During the period of investigation, the producer has sold \*\*\*MT of the subject goods in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.
60. The authority conducted a verification at the premises of the exporter. The verification report was forwarded to the exporter/producer and no comments were received on it. The present determination is on the basis of

information provided by the exporter, information verified by the authority and facts available to the extent the questionnaire response is deficient. Further, the authority has determined cost of production of the exporter on the basis of information and evidence provided by the exporter. Cost of production has been determined by the authority based on the records maintained by the producer/exporter in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles duly adjusted with the non-operating income or cost. Accordingly, the cost of production reported for each of the months of the POI have also been duly adjusted and adopted for the purpose of present determination.

61. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in case the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present investigation, since the profit-making sales are above 80%, all the domestic sales have been considered to determine the normal value. The producer has claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same has been allowed. Accordingly, the normal value at the ex-factory level for the producer has been determined, and the same is shown in the dumping margin table below.
62. The producer has reported \*\*\*MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product to India directly as well as through its traders. The traders of the producers have participated. The claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same have been allowed.
- d. **Other producers and exporters from Thailand.**
63. No other producers/exporters from Thailand have cooperated in the present investigation. In view of the same, the normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand have been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. The net export price so arrived is mentioned in the dumping margin table.

### F.3.6 **Dumping Margin**

64. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

S.N.	Particulars	UOM	Normal value (\$/MT)	Export price (\$/MT)	Dumping margin		
					\$/MT	%	Range
<b>A</b>	<b>European Union</b>						
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	10-20
<b>B</b>	<b>Japan</b>						
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	10-20
<b>C</b>	<b>Korea</b>						
1	Kumho Petrochemicals Co Ltd (KPC)	\$/MT	***	***	***	***	0-10
2	Any other	\$/MT	***	***	***	***	0-10
<b>D</b>	<b>Russia</b>						
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	20-30
<b>E</b>	<b>Thailand</b>						
1	BST Elastomers Co. Ltd, Thailand	\$/MT	***	***	***	***	0-10
2	Any other	\$/MT	***	***	***	***	10-20

65. It is seen that the dumping margin for the subject countries is above *de minimis* and is significant.

**G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

G. 1 Submissions made by other interested parties.

66. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. Imports from Korea are at a fair price. Imports from the European Union and Russia are causing injury to the domestic industry.
- ii. The domestic industry's effective export price is approximately USD \*\*\*/MT lower than the price charged to domestic users.
- iii. Domestic price movements are aligned with input cost fluctuations. The difficulties faced by the domestic industry are attributable to raw material cost fluctuations rather than to import competition.
- iv. Month-wise undercutting is negative in several months of the period of investigation, which demonstrates normal market fluctuations.
- v. Disproportionate increase in labour costs suggests rising wage expenses may be contributing to the cost pressures faced by the domestic industry.
- vi. The ex-factory cost of BST Elastomers Co., Ltd., Thailand has shown a variation of almost 25% within the period of investigation.
- vii. For the purpose of arriving at return on capital employed, the Authority should consider historical profit margins during periods free from the impact of dumped imports.
- viii. The domestic industry has accepted that they have not suffered any volume injury and imports and have instead merely filled the supply gap.
- ix. The domestic industry's domestic sales have expanded broadly in line with the growth in total Indian demand.
- x. Both domestic and import prices respond to the same underlying cost drivers, namely volatility in crude oil-linked feedstocks selling prices have moved upwards during the period of investigation, consistent with raw material cost movements, and do not show either persistent depression or suppression.
- xi. Improvement in output and utilisation indicates that the domestic industry has been able to efficiently deploy its existing capacity to meet rising demand.
- xii. Productivity of the domestic industry improved significantly,
- xiii. The employment levels have increased marginally, but the wages rose steeply, indicating that the burden on profitability arises from internal cost escalations rather than from import competition
- xiv. There is an absence of a causal link and any temporary pressure on margins is a consequence of inherent crude-linked volatility
- xv. Any injury claimed is self-inflicted and attributable to weak export strategy and structural limitations.
- xvi. The applicant is a fully backward-integrated producer with preferential access to styrene, butadiene, and other feedstocks across its petrochemical chain.
- xvii. RIL secures raw materials at highly competitive prices. Consequently, similar to ISRPL, volatility in crude-linked raw material prices should not significantly affect its cost structure. If RIL claims injury due to input volatility, this can only be the result of internal inefficiencies and procurement choices, not on account of subject imports of the product under consideration.
- xviii. The Authority should examine the basis of arriving at the transfer price of Butadiene adopted by the domestic industry, and if it has been consistently applied in the past or the same has been changed during the period of investigation.
- xix. ISRPL's financial risk profile remains robust, characterized by healthy profitability, a comfortable capital structure, and strong liquidity.
- xx. By stating that ISRPL has a formula-based procurement which results in its significantly better performance, the domestic industry has admitted that ISRPL is performing better than RIL.
- xxi. The applicant conceded that it has not suffered any volume injury.
- xxii. The applicant's data shows that undercutting is negative in several months of the period of investigation.

- xxiii. The ability of applicant to increase its selling prices is direct evidence that imports have not suppressed prices.
- xxiv. The weak financials are due to internal inefficiencies and procurement choice.
- xxv. ISRPL remains highly profitable throughout the period,
- xxvi. The DI in para 88 of its POHWS has placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority [(2006) 202 E.L.T. 23 (S.C.)]. It is respectfully submitted that the cited passage constitutes obiter dicta rather than the ratio decidendi of the judgment.
- xxvii. Diversion of Russian exports to India due to loss of the European market is speculative and unsupported by any concrete data or analysis.
- xxviii. The decline in the domestic industry's profitability was primarily attributable to increased cost of sales and not to subject imports.
- xxix. The existence of capacity or exports does not establish dumping or injury

## G. 2 Submissions made by the domestic industry.

67. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. It is important to appreciate this history of dumping and subsidization which reflects the consistent behaviour of the exporters over two decades.
  - ii. The production process is a continuous process, and domestic industry imports Styrene, of which orders are placed well in advance. If production is suspended, the domestic industry will have to incur significant storage costs.
  - iii. The import volume was the highest in the period of investigation.
  - iv. The imports have shown an increasing trend in relation to total imports, production and consumption in India.
  - v. There are 2 producers in India and about 14 active producers in the subject countries. A total of 16 producers selling \*\*\*MT in the Indian market to 8 major tyre companies, constituting \*\*\*% of the gross consumption in India.
  - vi. The tyre companies hold vigorous interaction and price negotiations, and therefore, the price undercutting is low. The fluctuation in price undercutting shows the existence of price competition amongst all suppliers operating in the Indian market.
  - vii. The subject imports have led to price suppression.
  - viii. The capacity of the domestic industry has remained constant over the years. The plant of the domestic industry is used to produce both the 1500 and 1700 series of E-SBR.
  - ix. The domestic industry had unutilized capacity.
  - x. The increase in domestic sales has come at a cost of a decline in profits.
  - xi. The domestic industry has made unwarranted exports.
  - xii. Nearly one-third of the market has been captured by the subject imports.
  - xiii. The average inventory as a number of days of production and sales has also increased over the injury period and was highest in the period of investigation
  - xiv. The profits of the domestic industry have declined materially over the injury period. The profit per unit is also required to be compared with the increase in the cost.
  - xv. The domestic industry has suffered a profit erosion of [\*\*\*] % on cost of sales in the period of investigation.
  - xvi. The landed price of imports has not moved in line with raw material cost.
  - xvii. The profitability has declined over the injury period and is lowest level in the period of investigation.
  - xviii. The cash profits have also declined over the injury period and were the lowest in the period of investigation.
  - xix. The profit before interest and return on investment has declined over the injury period.

- xx. The landed price of imports from Korea is below the landed price of European Union. It cannot be contended that the imports from the European Union have caused injury but the imports from Korea RP have not when the domestic industry is concerned with the adverse effect of dumping on the prices.
- xxi. The fluctuations in the price of the raw material were not peculiar to the domestic industry alone.
- xxii. The Authority and Tribunal have taken a view that a return of 22% shall be allowed for the determination of non-injurious price.
- xxiii. The European SBR market has been struggling with weak domestic demand. The European producers were already faced with significant idle capacities and have lost significant domestic sales.
- xxiv. The producers in Korea and Thailand have significantly high capacity, which is utilised to cater for the export markets.
- xxv. Due to the ongoing conflict, Russian producers have lost significant sales and have diverted their exports to other markets, including India.
- xxvi. If the injury to the domestic industry was due to internal inefficiencies and procurement choices, it would have suffered in the previous years as well.
- xxvii. On the submission that ISRPL data is also required to be examined, the domestic industry in the present investigation is Reliance Industries Limited, and the evaluation of injury is required to be restricted to only Reliance Industries Limited.
- xxviii. There is no basis for alleging that ISRPL has not suffered injury. The increase in sales of ISRPL is due to the nature of the production process. ISRPL has admitted in its annual report that low-priced imports have affected its performance as well.
- xxix. ISRPL is supported by a secured supply of butadiene through a long-term agreement with IOCL, at a formula-based transfer pricing.

### G. 3 Examination by the Authority.

- 68. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-11 thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry, such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
- 69. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 70. With regard to the submissions made by the other interested parties that data of ISRPL is also required to be examined, it is noted that, as per Rule 11(2) of the Rules, the Authority is required to determine injury to the domestic industry, threat of injury to the domestic industry or material retardation to the establishment of the domestic industry. Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry. The domestic industry in the present investigation is M/s. Reliance Industries Limited, which satisfies the requirement of Rule 2(b).
- 71. With regard to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry is exporting the product at lower prices, it is noted that the domestic industry has exported very low quantity of subject goods when compared to its domestic sales. The domestic industry has highlighted that these exports were unwarranted sales and made out of its inability to sell in the domestic market, and to prevent inventory piling up. It is clarified that only the segregated data for the domestic market has been considered to examine injury. The fact that the domestic industry has exported at low price is irrelevant to decide whether the imports are at dumped prices and whether the domestic industry has suffered material injury. Price parameters of the domestic industry have in any case been adopted after segregating export sales.

72. The interested parties have requested reconsideration of the fixed 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious price, and have suggested adoption of the actual return on capital employed earned by the domestic industry during periods free from dumping allegations as the benchmark for a reasonable return. The interested parties have placed reliance on the Hon'ble CESTAT Tribunal's decision in *Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority* and *M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority*. The Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed, and it is consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties that a return of less than 22% would be appropriate for the present case. The Authority also notes that in subsequent cases post the Tribunal's decisions cited by the interested parties, the Tribunal has upheld the practice of the Authority of applying a 22% return on capital employed in *Merino panel products vs. Designated Authority* and *M/s Perstorp Chemicals GmbH and Anr. vs Designated Authority and Ors*. The Authority also holds that consideration of 22% as reasonable return is appropriate to ensure objectivity in different determinations. Therefore, the Authority finds it appropriate to consider 22% return on capital employed methodology for calculating the non-injurious price of the domestic industry.
73. With regards to the submissions made by the other interested parties that the cost of the product under consideration is volatile due to fluctuations in the raw material prices, which has caused injury to the domestic industry, it is noted that fluctuation in the prices of raw material is a global factor, not peculiar to the Indian market alone and so would have affected the producers in the subject countries as well. The industry is expected to adjust their prices of the product in accordance with the fluctuations in the prices of raw materials. However, the domestic industry was prevented from adjusting its prices because of the presence of dumped imports from the subject countries, which were depressing the domestic prices and undercutting prices of the domestic industry in the market. It is seen that the cost of production of the domestic industry has declined, and even then, the losses of the domestic industry have increased.
74. With regard to the submissions of the other interested parties on the raw material pricing of the domestic industry, it is noted that the raw material pricing policy of the domestic industry is found consistent over the injury period. It is also noted the raw material prices of the domestic industry are lower than the raw material prices of even the participating producer.

#### **Cumulative assessment of injury**

75. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provide that in a case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - A cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic articles.
76. In the instant case, the volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the *de minimis*. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and are being used for the same applications and by the same segment of customers. Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry. It is therefore considered that it would be appropriate to undertake a cumulative assessment of injury in the present investigation

#### **a. Assessment of demand/apparent consumption**

77. The Authority has determined demand / apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry, sales of the other producer as per the support letter and imports from all sources.

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	95	114	116
2	Sale of supporter	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	102	102
3	Imports from subject countries	MT	64,689	63,083	67,987	74,579
4	Imports from other countries	MT	2,657	3,813	4,322	5,123
5	Consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	111	115

78. It is noted that the demand for the subject product has gradually increased over the injury period and was the highest in the period of investigation.

### G.3.1 Volume effect of the dumped imports

#### a. Import volumes from the subject countries

79. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, transaction-wise customs import data has been relied upon. The information is as follows:

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Subject Imports	MT	64,689	63,083	67,987	74,579
A	Japan	MT	3,558	1,198	3,882	3,595
B	EU	MT	22,963	27,401	20,769	29,923
C	Russia	MT	10,285	4,646	12,551	8,813
D	Korea RP	MT	27,850	29,838	27,879	27,445
E	Thailand	MT	34	0	2,907	4,803
F	Others	MT	2,657	3,813	4,322	5,123
	Consumption	MT	***	***	***	***
2	Subject import in relation to:					
A	Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	123	105	113
B	Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	100	107
C	Total imports	%	96%	94%	94%	94%

80. It is seen that: -

- The import volume from the subject countries increased in 2022-23, decreased in 2023-24 and increased thereafter. The imports were highest in the period of investigation.
- The imports in relation to production and consumption increased in 2022-23, dipping in 2023-24 and increased again in the period of investigation.
- The imports have constituted more than 90% share in total imports throughout the injury period.
- Over the injury period, the imports have shown an increasing trend in relation to total imports, production and consumption in India.

**G.3.2 Price effects of dumped imports**

81. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country, with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

**a. Price undercutting**

82. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Particular	Net selling price Rs/MT	Landed price Rs/MT	Price undercutting Rs/MT	Price undercutting %	Range
Japan	***	***	***	***	10-20%
European Union	***	***	***	***	0-10%
Russia	***	***	***	***	10-11%
Korea RP	***	***	***	***	0-10%
Thailand	***	***	***	***	0-10%
Weighted average	***	***	***	***	10-20%

83. It is noted that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from all subject countries is positive and significant.

**b. Price suppression/depression**

84. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	106	99	115
3	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	95	91	102
5	Landed Price	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	109	89	87

85. It is noted that:

- a. In 2022-23, even though the cost of sales of the domestic industry increased, the selling price declined. In 2023-24, the selling price and cost of sales both declined. The domestic industry was earning better profits till 2023-24.
- b. The landed price of imports was higher than the selling price of domestic industry till 2022-23. However, the landed price fell below the selling price of domestic industry thereafter and the gap increased in the POI.

- c. In the period of investigation, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry have increased. However, the selling price has not increased in line with the increase in the cost of sales.
- d. Over the injury period, while the cost of sales has increased, the landed price of imports has declined.
- e. When seen in comparison to the immediately preceding year, the cost of sales increased by 16% or Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, but the selling price increased only by 13% or Rs [\*\*\*] per MT.
- f. When seen in comparison to the base year, the cost of sales increased by 15% or Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, but the selling price increased only by 2% or Rs [\*\*\*] per MT. Further, landed price of imports increased only by \*\*\*.
- g. The landed price of imports was higher by Rs [\*\*\*] per MT as compared to the cost of sales in the base year. The gap declined significantly to mere Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation.
- h. It is seen that the imports have suppressed prices of the domestic industry in the market in the period of investigation.

### G.3.3 Economic parameters of the domestic industry

86. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively, considering various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:

#### a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

87. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Installed capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Capacity utilization	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	93	111	110
5	Production - Plant	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	93	111	110
7	Production - PUC	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	88	108	115
9	Domestic sales	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	95	114	116
11	Export sales	MT	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	100	69	53	92

88. It is seen that:

- a. The capacity of the domestic industry has remained constant over the years. The plant of the domestic industry is used to produce both the 1500 and 1700 series of E-SBR. Thus, the Authority has considered combined production capacity and production for the PUC to determine capacity utilization. Capacity utilization increased over the injury period.
- b. The production of the domestic industry declined marginally in 2022-23 and increased thereafter. The domestic industry has submitted that the decline in production in 2022-23 was due to a maintenance

shutdown. The production of the domestic industry has increased over the injury period. The capacity utilization has followed the same trends as that of production.

- c. The domestic sales declined marginally in 2022-23 but have increased thereafter. The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- d. While the domestic sales have increased in the period of investigation, they have come at a cost of a decline in profits.
- e. It has been submitted by the domestic industry that it was forced to make exports at a loss during the injury period.

**b. Market share**

89. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry has been examined as under: -

S.N.	Market share	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	94	102	101
3	Other producer	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	90	92	89
5	Subject imports	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	118	103	110
7	Other country	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	200	200	200

90. It is seen that

- a. The market share of the domestic industry declined in 2022-23, marginally increased in 2023-24 and then remained at a similar level in the period of investigation.
- b. The market share of the domestic industry has marginally increased, but the market share of the supporter has declined.
- c. The market share of the subject imports has increased in 2022-23, declined in 2023-24 and has increased again in the period of investigation. The market share of subject imports has increased over the injury period.

**c. Inventories**

91. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	380	130	161
3	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	34	75	158
5	Average Inventory	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	106	87	159

92. It is noted that the closing inventory of the domestic industry was the highest in the injury period. The domestic industry submitted that it has not been able to sell in the domestic market due to dumping and was forced to make exports at significant losses in order to avoid inventory accumulation. Despite the same, closing stocks with the domestic industry have increased.

93. The average inventory has also increased over the injury period and was highest in the period of investigation.

**d. Profitability, cash profit and return on capital employed.**

94. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	42	49	39
3	Profit/ (loss)	₹/Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	39	56	46
5	Cash profit	₹/MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	53	57	49
7	Cash profit	₹/Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	50	65	57
9	Profit before interest	₹/MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	50	55	47
11	Profit before interest	₹/Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	100	47	63	55
13	Return of Investment	%	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	100	50	64	54

95. It is noted that

- The profits of the domestic industry declined in 2022-23, increased in 2023-24 and further declined in the period of investigation. The domestic industry has stated that the profits in 2022-23 were also impacted by the shutdown undertaken by the applicant.
- The profit per unit has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, thus showing a decline of 61%. The profitability has declined over the injury period and is at the lowest level in the period of investigation.
- The cash profits have also declined throughout the injury period and were lowest in the period of investigation. The cash profit per unit has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation. The cash profit has declined by 51% over the injury period.
- The profit before interest has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, thus showing a decline of 53%.
- The return on investment of the domestic industry declined over the injury period. The ROI declined by 46% over the injury period.

**e. Employment, wages and productivity**

96. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	98	101	108
3	Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	104	157	182
5	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***

6	Trend	Indexed	100	88	108	115
7	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	90	107	107

97. It is noted that the wages paid by the domestic industry have increased over the injury period and the number of employees has declined. The productivity has improved with the increase in these parameters. In any case, the domestic industry has not claimed injury in these parameters.

**f. Growth**

98. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, PBT, PBIT and cash profits are given in the table below:

S.N.	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	POI
1	Production	%	-12%	22%	7%
2	Domestic Sales	%	-5%	20%	2%
3	Profit/ (loss)	%	-58%	19%	-20%
4	Cash profit	%	-47%	8%	-15%
5	Profit before interest	%	-50%	12%	-14%

99. It is seen that the domestic industry has recorded a significant decline in growth and adversity in price parameters. With regards to the volume parameters, it is seen that the production, capacity utilization, domestic sales and market share of the domestic industry have shown an increase. However, profitability, cash profit, and return on capital employed of the domestic industry have also witnessed a negative growth in the recent period.

**g. Factors affecting prices.**

100. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices despite increase in costs and has not been able to get a remunerative price during the period of investigation. While the cost of sales has increased over the injury period by Rs [\*\*\*] per MT, the selling price has increased only by Rs [\*\*\*] per MT. The landed price of imports has declined by Rs 21,379 per MT. It is seen that the imports have forced the domestic industry to compromise on profitability. The profitability of the domestic industry has declined steeply over the injury period. It is therefore considered that dumped imports have adversely affected the prices of the domestic industry.

**h. Impact on ability to raise capital investment.**

101. The domestic industry has submitted that due to the demand and supply gap in the country, there is scope for investment in the product. However, at the current levels, the profits earned by the domestic industry do not justify a fresh investment. The domestic industry has emphasised that with a return on investment in the single digit, no producer will make fresh investments. It is seen that the ability of the domestic industry to raise capital investment has been impacted due to the dumped imports.

**i. Magnitude of dumping margin.**

102. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the goods are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

**G.3.4 Conclusions on injury.**

103. It is noted that –

- The dumped imports from the subject countries have increased and were the highest in the period of investigation.
- The imports have increased in absolute terms as well as relative terms.
- The imports are below the selling price of the domestic industry. The price undercutting is positive and significant.

- d. The imports have suppressed the prices of the domestic industry in the period of investigation.
- e. The gap between the landed price of imports and the domestic industry cost of production has declined sharply over the injury period. The landed price of imports was higher by Rs [\*\*\*] per MT as compared to the cost of sales in the base year. The gap has declined significantly to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation.
- f. The production and domestic sales of the domestic industry have increased in the period of investigation. The domestic industry has submitted that it has sacrificed its profitability to sell in the domestic market.
- g. The imports constitute one-third of the market share in the country.
- h. The closing stock of the domestic industry has increased, and the domestic industry was forced to export at a loss to avoid inventory accumulation.
- i. The profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation. The profit per unit has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation.
- j. The cash profit per unit has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation. The cash profit has declined by 51% over the injury period.
- k. The profit before interest has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation.
- l. The imports have affected the ability of the domestic industry to raise capital.
- m. The imports are affecting the prices of the domestic industry.
- n. The dumping margin is positive and significant.

### G.3.5 Threat of material injury

104. The Authority has additionally examined the threat of material injury to the domestic industry by dumped imports, having regard to the provisions of Annexure II of the Rules, which states as follows:

*“(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:*

*(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*

*(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*

*(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and*

*(d) inventories of the article being investigated.”*

#### a. Significant rate of increase in dumped imports

105. The table below shows the increase in the dumped imports over the injury period.

S.N.	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Imports from subject countries	MT	64,689	63,083	67,987	74,579
2	Subject import in relation to:					
A	Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	123	105	113
B	Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	100	107
C	Total imports	%	96%	94%	94%	94%

106. It is seen that the dumped imports from the subject countries have increased significantly and were the highest in the period of investigation.

**b. Surplus capacities with the producers / exporters**

107. The table below shows export orientation Of the participating producers.

S.N.	Subject countries	Capacity (MT)	Export Sales(MT)	Export orientation (%)	Range
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea	***	***	***	70-80%
2	Sterlitamak Petrochemical Plant JSC, Russia	***	***	***	70-80%
3	BST Elastomers Co. Ltd, Thailand	***	***	***	60-70%

108. It is seen that a significant share of capacities is being utilized for export purposes, showing that the producers in the subject countries are operating with surplus capacities.

109. The domestic industry has additionally submitted that the European ESBR market has suffered from low demand. Against a capacity of 1600 KT in the European Union, domestic demand is only 700-800 KT. Therefore, the producers in the Europe are facing significant idle capacities.

110. The domestic industry has also submitted that South Korea dominates the global market for the subject goods and has the largest capacities in the world.

**c. Likely suppressing/depressing effect of imports**

111. The table below shows the cost of sales and the selling price of the domestic industry and the landed price of imports.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	99	115
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	91	102
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	89	87

112. It is seen that the prices of the imports from the subject countries are below the selling price of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant. As already found above, in the period of investigation, the selling price of the domestic industry has not increased in line with the cost of sales. The landed price of imports was significantly higher than the cost of sales in the period prior to the period of investigation, but the gap has steeply declined in the recent period. It is therefore considered that the suppressing effect that is being caused by the dumped imports is likely to increase.

**d. Measures imposed by other countries**

113. The domestic industry has provided evidence that the USA, one of the biggest export markets for the subject countries, has imposed anti-dumping duties against the imports of ESBR from Korea and Poland with effect from 2nd August 2023.

**H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

114. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or

changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

**a. Volume and price of imports from third countries**

115. Imports from the subject countries constitute 94% share of the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are either (a) at insignificant volumes, or (b) at higher prices and hence not causing injury to the domestic industry.

**b. Contraction in demand**

116. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. It is also seen that the domestic sales have also seen an increase. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

**c. Changes in the pattern of consumption**

117. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

**d. Trade restrictive practices**

118. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that the trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

**e. Development of technology**

119. It is seen that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

**f. Export performance**

120. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry. It is, however, seen that the exports are at losses.

**g. Performance of other products**

121. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

122. The Authority notes that other known factors which could have caused injury to the domestic industry have been duly examined in the non-attribution analysis above and do not appear to have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that injury is caused due to dumping.

a. The imports from the subject country are at dumped prices.

b. The import price is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.

c. When seen in comparison to the base year, the cost of sales increased by 15% or Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, but the selling price increased only by 2% or Rs [\*\*\*] per MT. Further, landed price of imports increased only by \*\*\*.

d. The imports have suppressed the prices of the domestic industry in the period of investigation.

e. As the imports are priced below selling price of the domestic industry, the profit of the domestic industry has declined from Rs [\*\*\*] per MT in the base year to Rs [\*\*\*] per MT in the period of investigation, thus showing a decline of 61%. The profitability has declined over the injury period and is at the lowest level in the period of investigation.

**I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

123. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the

raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

124. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
125. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

SN	Particulars	UOM	NIP \$/MT	Landed price \$/MT	Injury margin		
					\$/MT	%	Range
<b>A</b>	<b>European Union</b>						
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	10-20
<b>B</b>	<b>Japan</b>		***	***	***	***	
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	20-30
<b>C</b>	<b>Korea</b>		***	***	***	***	
1	Kumho Petrochemicals Co. Ltd. (KPC)	\$/MT	***	***	***	***	0-10
2	Any other	\$/MT	***	***	***	***	10-20
<b>D</b>	<b>Russia</b>		***	***	***	***	
1	Any	\$/MT	***	***	***	***	10-20
<b>E</b>	<b>Thailand</b>		***	***	***	***	
1	BST Elastomers Co. Ltd, Thailand	\$/MT	***	***	***	***	10-20
2	Any other	\$/MT	***	***	***	***	10-20

## **J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES**

### **J.1 Submissions made by other interested parties**

126. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest: -
- i. The Indian market for ESR, particularly the 1500 series, suffers from a demand-supply imbalance.
  - ii. The domestic industry has not demonstrated any concrete steps to increase capacity to address the growing demand.
  - iii. Switching suppliers in the case of imposition of duty is not feasible. Any change in supplier requires prior approval from the Original Equipment Manufacturer (OEM),
  - iv. Over the last four years, users have faced interruptions in production due to non-receipt of supplies of subject goods. Duties will adversely affect the operations.
  - v. Imports from the subject countries primarily address the demand-supply gap since the applicant alone cannot fulfil the country's requirements.
  - vi. Users of the subject goods include MSME industries that rely on consistent, competitively priced availability of fundamental raw materials.
  - vii. Various raw materials of the tyre industry are subject to anti-dumping investigation, and the cumulative effect of these measures will be very high.
  - viii. If a small percentage impact on user costs should not be considered determinative, then a notional impact on the domestic industry's profitability should not justify imposing duty.

- ix. The proposed duties will escalate ESBR landed prices by 20- 30% or more.
- x. Applicant has argued that a minor margin erosion for RIL warrants protection but a minor increase in costs for the entire tyre industry should be disregarded.
- xi. The anti-dumping duty for the prolonged period has not even benefited domestic industry, leave alone the interest of user.

127. Table below shows the share of the product under consideration in the cost of the downstream industry as per the questionnaire response of the participating users.

Sr. No.	Title	Value ( In ₹)
1	End Product Name	Tyre
2	Per unit Cost of PUC Consumed in End Product	***
3	Per unit Cost of Other Raw Materials Consumed (other than PUC)	***
4	Conversion Cost (including credit for other income)	***
<b>5</b>	<b>Total Cost</b>	<b>***</b>
6	Cost of PUC as % of Total Cost	***
7	Per unit Cost of PUC after 10% ADD	***
8	Cost of PUC as % After 10% ADD (On Total Cost)	***
<b>9</b>	<b>% Impact in Total Cost (8-6)</b>	<b>0.41%</b>

(Source: User Industry Questionnaire Response)

## J.2 Submissions made by the domestic industry.

128. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. In the past investigations into the product under consideration, the Authority has noted that the product under consideration has a very low share in the total cost of the tyre.
- ii. The share of the product under consideration in the overall raw material cost, total cost and sales value of the tyre producers is minuscule. The impact of the duty in tyre industry is 0.37%.
- iii. If the impact of duty on all the products which are raw materials for the tyre industry is considered, it would be seen that the impact of duty is 0.7%.
- iv. The producers in the subject countries have no interest in long term development of the Indian market or consumers. The imposition of the anti-dumping measures would be in the interest of consumers.
- v. The purpose of the anti-dumping law was well recognized, appreciated and stated by the Hon'ble Supreme Court.
- vi. When there were anti-dumping measures on inputs used in producing tyres, there was no adverse impact of the measures on tyre producers.
- vii. Lack of participation of the members of AIRIA clearly shows that past duties had not adversely affected the users.
- viii. The other interested parties have not submitted any information on the share of the raw material cost in the downstream products, the demand, the impact of duties, or the exports undertaken.
- ix. The demand for 1700 should not be considered while calculating the demand-supply gap.
- x. When the imports under an advance license are excluded, the demand-supply gap is significantly less.
- xi. The profits earned by the domestic industry do not justify a fresh investment. The persistent inflow of low-priced imports has deterred further investment in expanding capacity in India.
- xii. The domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty as below.

S.N.	Particulars		UOM
1	Estimated turnover of the tyre industry	A	***
2	Estimated turnover of the SBR industry	B	***
3	Incidence of SBR in tyre industry	$C = B/A$	***
4	Increase in price (assumed)	D	***
5	Incidence of duty on tyre	$E = D \times C$	0.37%

### J.3 Examination by the Authority

129. It is considered whether the recommendation for imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
130. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/ consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations
131. It is seen from the response of the user industry that the product under consideration does not form a critical part of the cost of operations of the tyre industry. The impact of anti-dumping duty is found to be minuscule from the submissions made by the domestic industry and user industry. The imposition of a 10% Anti-Dumping Duty (ADD) on Styrene Butadiene Rubber (SBR), which is a raw material in tyre manufacturing, has only a marginal impact on the overall cost structure of tyres. While the per-unit cost of SBR rises from (₹\*\*\*) to (₹\*\*\*) after ADD, its share in the total tyre production cost increases slightly from \*\*% to \*\*%. This translates into a mere 0.41% increase in the total cost of tyre production.
132. The Authority also notes that none of the consumers from the non-tyre segment have registered themselves as interested parties in the present anti-dumping.
133. It has also been contended by the user industry that several trade remedial measures have been imposed on their different raw materials, which have impacted their costs. Domestic Industry has stated that the performance of tyre industry along with different trade remedial measures imposed in past and has claimed that there is no correlation between trade remedial measures and performance of the tyre industry – either individually (for one of the raw materials) or collectively (for all raw materials attracting trade remedy measures). Since the product under consideration does not form a critical part of the tyre industry and other rubber compound manufacturers operations and since the impact of duty on the all products (various raw materials used by the user industry) on which either an investigation is ongoing or measures are in force is negligible, the Authority notes that there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.
134. It has been contended that there is a demand and supply gap in the country and the Indian industry is unable to meet the demand. The Authority notes that the imposition of anti-dumping duty shall not restrict the imports of the product. Domestic industry has merely sought remedy dumping in the country causing material injury to domestic industry. Demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country. There are imports from the non-subject countries, which will continue to happen. It is also observed that domestic market investments were made based on fair market principles. It is noted that the user industry cannot contend having set up its operations considering access to dumped imports.
135. The primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field.
136. It is acknowledged that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards

the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

137. It is noted that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.

## **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **K.1 Submission by other interested parties.**

138. Following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:

- a. The application of a fixed 22% return on capital employed is inconsistent with the requirement of a "reasonable return" under Annexure III, as it inflates the non-injurious price and is based on an outdated benchmark questioned in CESTAT rulings; therefore, the Authority should determine return based on actual profitability in non-dumped conditions.
- b. Authority has incorrectly applied the OCT test as has considered only monthly cost comparison while ignoring the requirement to assess prices against weighted average period of investigation costs.
- c. For calculating reasonable profit margin, the Authority is required to ascertain that all sales accurately reflect market conditions.
- d. Interest income of Kumho has been removed from the calculation of cost of production without any justification. The Authority should consider interest income and adopt a net basis approach to ensure fair and accurate COP determination.
- e. All India Rubber Industries Association has also adopted the comments on dumping margin determination for Kumho.
- f. The disclosure statement does not examine the combined or cumulative impact of these measures on the tyre industry and limits its assessment to the marginal impact of the present duty.
- g. Representative assessment of material injury is not possible without considering the data of the biggest domestic producer holding majority share in total production
- h. The Authority has observed in the disclosure statement that "no evidence has been made available by any interested party that ISRPL is not suffering material injury". This imposes an excessive and unreasonable requirement
- i. The disclosure statement does not record or examine the evidence placed on record by the user industry concerning the financial performance of ISRPL.
- j. The correlation between raw material prices and the financial performance of the domestic industry is required to be examined.
- k. Reliance solely on weighted average figure for dumping margin determination, without examining the temporal variations in price relationships on a month-to-month basis or quarter-to-quarter basis, may lead to misleading conclusions.
- l. Impact of imposition of anti-dumping duty is required to be seen considering all the products on which duties are in place.
- m. Time granted by the authority to provide the comments on the disclosure statement is insufficient.

### **K.2 Submission by the domestic industry.**

139. Following post disclosure submission have been made by the domestic industry:

- a. Considering the performance of the domestic industry and the volume and price of imports, it is requested that the Authority conclude that the domestic industry has suffered material injury and a threat of material injury.
- b. The cumulative impact of the anti-dumping duty on all key raw materials is minimal at 0.7%.
- c. The impact on the final tyre prices is miniscule, even if the costs are passed on to the end consumer.

- d. A duty for a period of 5 years is necessary to recover from the significant injury caused by the dumped imports and to restore fair competition in the market. A shorter duration of duty would be inadequate to address the long-term effects of dumping and would risk continuation or recurrence.
- e. Fixed form of anti-dumping duty may be recommended due to significant price fluctuations of the product.
- f. Ad-valorem duty may be unsuitable in current scenario.
- g. The Domestic Industry argues that in this case the months where normal value has been worked out based on cost plus profit margin, the profit margin should be based only on profitable sales, PUC being a capital-intensive product. In case, the Authority has considered a 5% profit margin in the calculation of constructed normal value which has been consistent practice of the Authority, such a low profit margin is not appropriate in this case.
- h. The Authority has constructed the normal value for Kumho Petrochemicals Ltd. due to low profitable transactions. The profit margin should be based only on profitable sales. The Anti-Dumping Rules require the profit to be based on actual data from ordinary course of trade implying that loss-making transactions must be excluded from the profit calculation.
- i. In the case of anti-dumping investigation on imports of Glass Fiber, the profit margin was determined basis the profitable domestic sales.
- j. The WTO Appellate Body in EC-Tube or Pipe Fitting mandates the use of actual profit from ordinary trade.
- k. The WTO Panel in Morocco – Exercise Books also confirms that the profit margin must be on actual data, with alternatives only when the actual data is not available.
- l. The EU practice also recognizes exclusion of non-ordinary (loss-making) sales while calculating the profit margin.

### **K.3 Examination by the Authority.**

- 140. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- 141. The Authority notes that anti-dumping investigations are time-bound proceedings. No requests for extension of time to submit post-disclosure comments were received from any interested party. Accordingly, the contention that insufficient time was provided to submit such comments is without merit and cannot be sustained.
- 142. On the comments of the interested parties that for the determination of the non-injurious price, the Authority has considered return on capital employed at the rate of 22%, without providing reasons therefor and without disclosing the historical rate of return on capital employed earned by the domestic industry, it is noted that it has been consistent practice of the Authority to consider 22% return on capital employed. In the present case, no evidence/submissions have been given by interested parties during the course of the investigation substantiating as to why 22% return on capital employed is not justified.
- 143. The Authority rejected Kumho Petrochemical Co., Ltd.'s (KPC) arguments regarding netting of interest income and expenses, clarifying that interest expenses/cost are part of the cost of production as they relate to financing operations, while interest income stems from non-operating activities, treasury or investment activities are not netted against costs. The authority has followed similar approach in the past investigations of KPC as well as in other investigations.
- 144. Similarly, the Authority dismissed KPC's request to assess domestic sales profitability against weighted-average costs over the entire investigation period, emphasizing that margins were determined monthly to reflect fluctuations, and thus sales must be tested against the monthly cost of production. On the issue of low volumes of profitable sales, the Authority explained that when less than 80% of monthly sales were profitable, normal value was based on profitable transactions. However, in months where profitable sales were abnormally low and not representative, normal value was constructed using cost of production plus reasonable additions for SG&A and profit.

145. On the comments of the interested parties that the price undercutting is negative in some months and therefore an average analysis is not appropriate, it is seen that the price undercutting is positive in some months for some of the subject countries and is negative for others. The price undercutting on overall basis is positive. This fluctuation clearly shows the existence of price competition amongst all suppliers operating in the Indian market. The degree of price undercutting also establishes that all the suppliers compete on prices.
146. On the comments filed by the interested parties that ISRPL data is required to be examined, the issue has already been clarified in the disclosure statement. Injury is required to be determined for the defined domestic industry. The domestic industry in the present investigation is M/s. Reliance Industries Limited, which satisfies the requirement of Rule 2(b). Further the domestic industry has provided copies of the annual report of ISRPL which shows that the producer has admitted in its annual report that low-priced imports have affected its performance as well.
147. On the comments of the interested parties that several trade remedial investigations are ongoing different raw materials of the user industry and the cumulative impact of all these raw materials will be significant, it is seen that while the users have made submissions during the investigation, no information on the cumulative impact has been provided. On the other hand, the domestic industry has provided information on the cumulative impact of anti-dumping duty on TDQ, Sulf. Acc, PX-13, SBR, Insoluble Sulphur and IIR. It is seen that the impact of duty of all these products on which either an investigation is ongoing or measures are in force is less than 1%.

#### **L. CONCLUSION**

148. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a. The scope of the product under consideration is Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series originating or exported from European Union, Japan, Republic of Korea, Russian Federation and Thailand.
  - b. The subject goods are classified under Chapter 40 of the Customs Tariff Act 1975, under the code 4002 19. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
  - c. The product under consideration attracts a basic customs duty of 10% under Schedule I of the Customs Tariff Act and the imports of the product under consideration enjoy a concession under India-ASEAN Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IACECA), India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement and Japan-India Comprehensive Economic Partnership Agreement.
  - d. There was no requirement of PCN since the scope of the product under consideration contains only one series.
  - e. The goods produced by the domestic industry are “like article” to the subject goods being imported from the subject countries in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules.
  - f. The application has been filed by Reliance Industries Limited and is supported by Indian Synthetic Rubber Private Limited.
  - g. The production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India.
  - h. With the support of the other Indian producer, the share of the two companies accounts for the total Indian production.
  - i. The applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
  - j. Normal value, export price and dumping margin**
    - i. The margins of dumping determined for the cooperative producers/exporters, as well as those based on best facts available for the non-cooperative producers/exporters, are above the de-minimis level prescribed under the Rules.
    - ii. Based on the response filed by Kumho Petrochemicals Co. Ltd. (KPC), Korea and BST Elastomers Co. Ltd, Thailand, it is seen that the dumping margin is positive.

- iii. The dumping margin with respect to imports from European Union, Japan and Russia has been determined based on facts available and is found to be positive.
- iv. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.

**k. Injury and threat of injury.**

- i. The imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as relative terms.
- ii. Analysis of import price and prices of the domestic industry show that the price undercutting is positive and significant. The imports have suppressed the prices of the domestic industry in the period of investigation.
- iii. The profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation.
- iv. The cash profit has declined by 51% over the injury period.
- v. There is threat of injury to the domestic industry which is evident from the significant rate of increase in dumped imports, surplus capacities in subject countries, likely suppressing/depressing effect of imports and measures imposed by other countries.

**l. Indian industry interest.**

- i. It is found from the response of the user industry that the product under consideration does not form a critical part of the cost of operations of the tyre industry and the impact of anti-dumping duty would be minuscule.
- ii. There is no correlation between trade remedial measures and performance of the tyre industry.
- iii. Demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports and imposition of anti-dumping duty does not restrict imports.
- iv. The Authority finds anti-dumping measures necessary to safeguard domestic industry, ensuring fair competition while balancing consumer and public interest. It is found that the impact of ADD would not be significant on the downstream industry and eventual end consumer.

**M. RECOMMENDATION**

149. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury and threat of injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
150. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of final anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years, from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

**DUTY TABLE**

S. N.	Tariff Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of	European Union (EU)	Any country including European Union	Any producer	213	MT	\$

		1500 Series						
2	-do-	-do-	Any country other than EU, Japan, Korea, Thailand and Russia	European Union	Any producer	213	MT	\$
3	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer	272	MT	\$
4	-do-	-do-	Any country other than EU, Japan, Korea, Thailand and Russia	Japan	Any producer	272	MT	\$
5	-do-	-do-	Korea	Any country including Korea	Kumho Petrochemicals Co Ltd (KPC)	51	MT	\$
6	-do-	-do-	Korea	Any country including Korea	Any producer other than mentioned in SN 5	134	MT	\$
7	-do-	-do-	Any country other than EU, Japan, Korea, Thailand and Russia	Korea	Any	134	MT	\$
8	-do-	-do-	Russia	Any country including Russia	Any	319	MT	\$
9	-do-	-do-	Any country other than EU, Japan, Korea, Thailand and Russia	Russia	Any	319	MT	\$
10	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	BST Elastomers Co. Ltd, Thailand	109	MT	\$
11	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than mentioned in SN 10	195	MT	\$
12	-do-	-do-	Any country other than EU, Japan, Korea, Thailand and Russia	Thailand	Any	195	MT	\$

\* The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows: 'I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in subject country. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.' If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulation.

\* *The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

151. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 88, 9 and 9A of the said Act.

**N. FURTHER PROCEDURE**

152. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act

AMITABH KUMAR, Designated Authority